

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 738वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 9787/2023 Shri Pawan Kumar Agrawal, Director, M/s Pawsun Minerals and Coal Benefication Private Limited R/o Flat No. 105A, Bashed Ahmed Complex, Link Road, Bilaspur (CG)- 495001, Prior Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 10.71 ha. (Khasra No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31) Village-Gareriya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP). Category- 2(a).EIA PPT.**

This is case of Prior Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 10.71 ha. (Khasra No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31) Village-Gareriya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP).

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in SEAC 633<sup>th</sup> meeting dated 06.04.2023 wherein ToR was recommended.

The EIA was presented by the PP Shri Pawan Kumar Agrawal and their consultant Shri S.R.D. Nagarjuna, M/s Pioneer Enviro Laboratories and Consultants Pvt. Ltd., Hyderabad wherein PP submitted that proposed project is located at Gaderiya Village, Singrauli Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh and land is allocated to M/s. Pawsun Minerals

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

& Coal Benefication Pvt. Ltd. by Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) for industrial purpose.

PP submitted that :-

- There are no Wild life sanctuaries, Bird sanctuaries, National Parks within 10 Km. radius of the plant. No significant vegetation occurs in and around the project site. No significant fauna exists in the area. Hence there will not be any adverse impact on flora & fauna due to the proposed project.
- Plantation programme should be undertaken at several areas. They should include plantation, along the internal and external roads and along the administrative buildings and the stacking yards.
- People should be educated and trained in social forestry activities by local governmental and non-governmental organizations.
- Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 06.02.2023.
- There are no houses exist in the project site. Present land belongs to MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL). Hence R & R is not applicable.
- It has been planned to adopted Heavy Media Cyclone technology with closed circuit water system to ensure zero effluent discharge.
- PP has applied for GW drawl permission for 495 KLD vide letter no. 21-4/1760/MP/IND/2023.

**BRIEF INFORMATION**

S. No.	Particulars	Details
1.	Date of grant of ToR	18-05-2023
2.	Baseline study period	1 <sup>st</sup> December 2022 to 28 <sup>th</sup> February 2023
3.	Date of Public Hearing	14.09.2023
4.	Project Cost	Rs. 88.73 Crores
5.	EMP Cost ( Capital & Recurring)	Capital cost: Rs. 130 Lakhs & Recurring cost: Rs. 15 Lakhs/Annum
6.	Manpower Details	Direct – 50 Nos., Indirect- 150 Nos.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

7.	Details if project falls under the purview of A. FCA, 1980 B. WLPA, 1972 C. CRZ, 2011	Not Applicable Not Applicable Not Applicable
8.	CP/SPA/ESA/ESZ, if any	Nil Within 10 km. radius of the project site
9.	Interlinked project, if any with status	No

**LAND ALLOTTED / ACQUISITION STATUS**

Total land envisaged for the proposed project is 10.71 Ha. located at Gaderiya Village, Singrauli Tehsil, Singrauli District, Madhya Pradesh.

Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 06.02.2023

**Govt. land the Khasra nos. 10.71 Ha. (26.46 Acres) :-**

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30 & 31

S.No.	Type of land	Area (in Ha.)	Area (in Acres)	Status of acquisition	Status Of Land Diversion
1	Private Land	Nil	Nil	---	---
2	Govt. Land	10.71	26.46	Land is taken on lease for 99 years from MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL) vide Lease Deed dt. 06.02.2023	Diversion not required as land is allotted by MP Industrial Development Corporation Limited (MPIDCL)
3	Industrial Land	Nil	Nil	---	---
4	Forest Land	Nil	Nil	---	---

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	<b>Total land</b>	<b>10.71</b>	<b>26.46</b>		
--	-------------------	--------------	--------------	--	--

During presentation PP has also proposed following EMP with budget for this project.

<b>Head</b>	<b>Capital cost</b>	<b>Recurring Cost in INR</b>
Air pollution control system	1,20,00,000/-	10,00,000/-
Water Sprinklers at all transfer points	20,00,000/-	2,00,000/-
Sewage Treatment Plant	8,00,000/-	2,00,000/-
Effluent Treatment plant for recycling of water	80,00,000/-	8,00,000/-
Personnel protective equipment for workers	2,00,000/-	50,000/-
<b>Total</b>	<b>2,30,00,000/-</b>	<b>22,50,000/-</b>

**After deliberation and discussion the committee asked PP to submit following information:**

- PP shall submit the DFO certificate regarding the the proposed project area is not falling in elephant movement area .
- The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan and approved by the competent Authority and add proposed amount in the EMP.

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 723<sup>th</sup> meeting held on 16.02.2024.

PP submitted that-

- submitted that a letter from DFO Singrauli vide letter no 1132 dated 16.02.2024 is enclosed herewith, which clearly states that the project does not fall under the elephant movement area.
- **We are submitting that as per the DFO letter no. 353 dated 17/01/2023. There is no wildlife sanctuary/National Park that exist within the 10 km radius of the project area, also the project area is 300 m away from the nearest forest boundary.**

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- For preparation of conservation plan / wildlife management plan, we will prepare it and will submit it along along-with with six monthly compliance report of the EC conditions to regional Office of MOEF&CC/MP SEIAA.
- We have made provision of Rupees 3.0 Lakh towards wildlife management.
- For protection of any species, we will also make six feet high boundary wall covering the periphery of project area. Although, the transportation of raw material, finished goods & personals will be done from Bargawan – Baidan Highway, thus no movement will occur in any forest area.
- The MPPCB has also accorded the consent to establish (CTE) vide their letter no. 119670 dated 4/02/2024.
- Earlier the capital cost of EMP was 2.30 Crores and after adding wildlife conservation amount it will increase up to 2.33 crores. Revised EMP is as follows:-

Head	Capital cost	Recurring Cost
Air pollution control system	1,20,00,000/-	10,00,000/-
Water Sprinklers at all transfer points	20,00,000/-	2,00,000/-
Sewage Treatment Plant	8,00,000/-	2,00,000/-
Effluent Treatment plant for recycling of water	80,00,000/-	8,00,000/-
Personnel protective equipment for workers	2,00,000/-	50,000/-
<b>Wildlife management</b>	3,00,000/-	50,000/-
<b>Total</b>	<b>2,33,00,000/-</b>	<b>23,00,000/-</b>

PP further submitted that Rs. 3.0 lakhs shall be allocated to the DFO, Singrauli to support Wildlife management initiative within 03 months .

After deliberation and discussion the committee found that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for Prior Environment Clearance for **Environment Clearance for establishment of 2.48 MTPA Wet type (Heavy Media) Coal Washery Plant in an area of 10.71 ha. (Khasra No. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31) Village-Gareriya, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP). Category-2(a).**subject to the following special conditions:

(a) **Statutory Compliance:**

- (i) The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- (ii) The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- (iii) **The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area. Plant to be prepared within six month (till August 2024).**
- (iv) The project proponent shall obtain Consent to Establish/ Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
- (v) The project proponent shall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority.
- (vi) Solid waste/hazardous waste generated in the washery needs to addressed in accordance to the Solid Waste Management Rules, 2016 / Hazardous & Other Waste Management Rules, 2016.
- (vii) Coal beneficiation practices shall be carried out under strict adherence to provisions of the Factories Act, 1957 and subordinate legislations made there under.

(b) **Air quality monitoring and preservation**

- (i) Adequate ambient air quality monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely particulates, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive receptors in consultation with the State Pollution Control Board.

Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc. carried out at least once in six months.

- (ii) Continuous ambient air quality monitoring stations as prescribed in the statute be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring of pollutants, namely PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>. Location of the stations shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets in consultation with the State Pollution Control Board. Online ambient air quality monitoring stations may also be installed in addition to the regular monitoring stations as per the requirement and/or in consultation with the SPCB. Monitoring of heavy metals such as Hg, As, Ni, Cd, Cr, etc to be carried out at least once in six months.
- (iii) Transportation of coal by road shall be carried out by covered trucks/conveyors. The transportation of clean coal and rejects shall be by rail with wagon loading through silo. Effective measures such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulates such as roads, belt conveyors, loading/unloading and transfer points. Fugitive dust emissions from all sources shall be controlled at source. It shall be ensured that the ambient air quality parameters conform to the norms prescribed by the Central/State Pollution Control Board.
- (iv) All approach roads shall be black topped and internal roads shall be concreted. The roads shall be regularly cleaned. Coal transportation shall be carried out by covered trucks.
- (v) Covered trucks shall be engaged for mineral transportation outside the washery upto the railway siding, shall be optimally loaded to avoid spillage en-route. Trucks shall be adequately maintained and emissions shall be below notified limits.
- (vi) Facilities for parking of trucks carrying raw material from linked mine shall be created within the unit.
- (vii) Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles having 'PUC' certificate from authorized pollution testing centres shall be deployed for washery operations.

- (viii) Hoppers of the coal crushing unit and other washery units shall be fitted with high efficiency bag filters/mist spray water sprinkling system shall be installed and operated effectively at all times of operation to check fugitive emissions from crushing operations, transfer points of closed belt conveyor systems and from transportation roads.
- (ix) The raw coal, washed coal and coal wastes (rejects) shall be stacked properly at earmarked site (s) within stockyards fitted with wind breakers/shields. Adequate measures shall be taken to ensure that the stored mineral does not catch fire.
- (x) The temporary reject sites should appropriate planned and designed to avoid air and water pollution from such sites.
- (c) **Water quality monitoring and preservation**
- (i) The effluent discharge (mine waste water, workshop effluent) shall be monitored in terms of the parameters notified under the Water Act, 1974 Coal Industry Standards vide GSR 742 (E) dated 25.9.2000 and as amended from time to time by the Central Pollution Control Board.
- (ii) The monitoring data shall be uploaded on the company's website and displayed at the project site at a suitable location. The circular No. J-20012/1/2006-1A.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall also be referred in this regard for compliance.
- (iii) Industrial waste water shall be properly collected and treated so as to conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and the Rules made there under, and as amended from time to time.
- (iv) The project proponent shall not alter major water channels around the site. Appropriate embankment shall be provided along the side of the river/nallah flowing near or adjacent to the washery. The embankment constructed along the river/nallah boundary shall be of suitable dimensions and critical patches shall be strengthened by stone pitching on the river front side stabilised with plantation so as to withstand the peak water pressure preventing any chance of inundation.



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- (v) Heavy metal content in raw coal and washed coal shall be analysed once in a year and records maintained thereof.
- (vi) The rejects should preferably be utilized in FBC power plant or disposed off through sale for its gainful utilization. If the coal washery rejects are to be disposed off, it should be done in a safe and sustainable manner with adequate compaction and post closure arrangement to avoid water pollution due to leachate from rejects and surface run off from reject dumping sites.
- (vii) An Integrated Surface Water Management Plan for the washery area up to its buffer zone considering the presence of any river/rivulet/pond/lake etc. with impact of coal washing activities on it, shall be prepared, submitted to MoEFCC and implemented.
- (viii) Waste Water shall be effectively treated and recycled completely either for washery operations or maintenance of green belt around the plant.
- (ix) Rainwater harvesting in the washery premises shall be implemented for conservation and augmentation of ground water resources in consultation with Central Ground Water Board.
- (x) No ground water shall be used for coal washing unless otherwise permitted in writing by competent authority (CGWA) or MoEFCC. The make-up water requirement of washery should not exceed 1.5 m<sup>3</sup>/tonne of raw coal.
- (xi) Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease area by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operations. The monitoring of ground water levels shall be carried out four times a year i.e. pre-monsoon, monsoon, post-monsoon and winter. The ground water quality shall be monitored once a year, and the data thus collected shall be sent regularly to MOEFCC/RO.
- (xii) Monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies shall be carried out once in six months and record of monitoring data shall be maintained and submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change/Regional Office.
- (xiii) The project proponent shall take all precautionary measures to ensure riverine/riparian ecosystem in and around the coal mine up to a distance of 5 km. A riverine/riparian ecosystem conservation and management plan should be prepared

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

and implemented in consultation with the irrigation / water resource department in the state government

**(d) Noise and Vibration monitoring and prevention**

- (i) The noise level survey shall be carried out as per the prescribed guidelines to assess noise exposure of the workmen at vulnerable points in the mine premises, and report in this regard shall be submitted to the Ministry/RO on six-monthly basis.
- (ii) Adequate measures shall be taken for control of noise levels as per noise pollution Rules, 2016 in the work environment. Workers engaged in blasting and drilling operations, operation of HEMM, etc shall be provided with personal protective equipments (PPE) like ear plugs/muffs in conformity with the prescribed norms and guidelines in this regard. Adequate awareness programme for users to be conducted. Progress in usage of such accessories to be monitored.

**(e) Coal beneficiation**

- (i) Coal stacking plan shall be prepared separately for raw coal, clean coal, middling and rejects.
- (ii) Efforts should be made to reduce energy consumption by conservation, efficiency improvements and use of renewable energy.

**(f) Green Belt**

- (i) PP submitted that total 10,500 trees are proposed for plantation (about 9000 trees within plant premises and 1500 trees shall be distributed to the villagers) .

Greenbelt development plan is as given below:

<u>Year</u>	<u>Number plants to be planted</u>
<u>1<sup>st</sup> year</u>	<u>3,800</u>
<u>2<sup>nd</sup> year</u>	<u>3,200</u>
<u>3<sup>rd</sup> year</u>	<u>2,000</u>
<u>Distribution of plants and species in nearby villages with 1<sup>st</sup> years</u>	<u>1500</u>
<b>10  </b> <u>TOTAL</u>	<u>10,500</u>

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

**Greenbelt species break-up**

Scientific Name	Common Name	Main Purpose	Number plants to be planted			Total Number of plants
			1 <sup>st</sup> Year	2 <sup>nd</sup> Year	3 <sup>rd</sup> Year	
<b>Trees -Top layer</b>						
<i>Aegle marmelos</i>	Bel / Bael	Fruit	110	95	60	395
<i>Albizialebbek</i>	Kala siris	Multipurpose	110	90	60	390
<i>Albiziaprocer</i>	Safed Siris	Multipurpose	105	90	50	245
<i>Anthocephalus indica</i>	Kadamb	Timber	105	85	55	245
<i>Artocarpus integrifolia</i>	Jack fruit	Fruit	100	85	55	240
<i>Azadirachtaindica</i>	Neem	Multipurpose	115	100	55	270
<i>Dalbergia sissoo</i>	Sheshum	Timber	105	95	55	255
<i>Dendrocalamus strictus</i>	Bamboo	Construction material	105	85	55	500
<i>Ficus benghalensis</i>	Banyan	Shelter for birds	100	80	40	220
<i>Ficus religiosa</i>	Peepal	Sacred tree	100	80	40	220
<i>Gmelina arborea</i>	Gamhar	Timber	105	75	50	460
<i>Madhucalongifolia</i>	Mahuva	Multipurpose	90	75	45	210
<i>Mangifera indica</i>	Mango	Fruit tree	95	75	45	215
<i>Mimusopsele</i>	Ponna / Khirani	Multipurpose	80	75	45	200
<i>Pongammiapi</i>	Karanj	Biodiesel	85	75	50	315
<i>Samaneasaman</i>	Rain Tree	Multipurpose	85	75	45	205

Scientific Name	Common Name	Main Purpose	Number plants to be planted			Total Number of plants
			1 <sup>st</sup> Year	2 <sup>nd</sup> Year	3 <sup>rd</sup> Year	
<b>Trees -Top layer</b>						
<i>Shorearobusta</i>	Sal	Timber	80	75	45	200
<i>Swietenia macrophylla</i>	Mahogany	Timber	80	65	45	190
<i>Syzygiumcumini</i>	Jamun	Fruit	85	65	50	200
<i>Tarindusindica</i>	Tamarind /	Tamarind	80	65	55	200

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	Imli					
<i>Terminalia bellirica</i>	Bahada	Timber	75	65	40	180
<i>Terminalia arjuna</i>	Arjun	Timber & Biodrain	70	60	35	165
<i>Terminalia catappa</i>	Almond	Nuts	70	65	40	175
<i>Terminalia chebula</i>	Myrobalam	Timber & Medicinal	85	65	40	190
<b>Shrubs -Middle Layer</b>						
<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bougainvillea	Ornamental	75	60	40	175
<i>Carissa spinarum</i>	Karand	Fruit	80	60	35	175
<i>Cassia auriculata</i>	Tanning Cassia	Green manure	80	65	35	180
<i>Ficus benjamina</i>	Weeping fig	Ornamental	65	55	40	160
<i>Jatropha gossypifolia</i>	Bellyache bush	Medicinal	70	60	40	170
<i>Holarrhena antidysenterica</i>	Kurei	Medicinal	70	60	35	165
<i>Murrayakoenigi</i>	Curry leaf	Curry leaf	70	60	35	165
<i>Phoenix acaulis</i>	Dwarf date	Soil binder	70	60	35	165
<i>Woofordia fruticosa</i>	Dhatki	Locally common	70	60	40	170

- (ii) There shall be no vegetative cutting activity take place in the parking area. Three tier greenbelt comprising of a mix of native species, of minimum 30 m width shall be developed all along the washery area to check fugitive dust emissions and to render aesthetic to neighbouring stakeholders. A 3-tier green belt comprising of a mix of native species or tree species with thick leaves shall be developed along vacant areas, storage yards, loading/transfer points and also along internal roads/main approach roads.
- (iii) **The project proponent shall make necessary alternative arrangements, if grazing land is involved in core zone, in consultation with the State government to provide alternate areas for livestock grazing, if any. In this context, the project proponent shall implement the directions of Hon'ble Supreme Court with regard to acquiring grazing land.**
- (g) **Human health issues**
- (i) Adequate illumination shall be ensured in all mine locations (as per DGMS standards) and monitored weekly. The report on the same shall be submitted to this ministry & its RO on six-monthly basis.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- (ii) The project proponent shall undertake occupational health survey for initial and periodical medical examination of the personnel engaged in the project and maintain records accordingly as per the provisions of the Mines Rules, 1955 and DGMS circulars. Besides regular periodic health check-up, 20% of the personnel identified from workforce engaged in active mining operations shall be subjected to health check-up for occupational diseases and hearing impairment, if any. as amended time to time.
- (iii) Personnel (including outsourced employees) working in core zone shall wear protective respiratory devices and shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- (iv) Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks/measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.
- (v) The project proponent shall follow the mitigation measures provided in this Ministry's OM No.Z-11013/57/2014-IA.II (M) dated 29th October, 2014, titled 'Impact of mining activities on habitations-issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations and villages are surrounded by the mine lease area'.
- (h) **EMP& Corporate Environment Responsibility**
- (i) PP has proposed Capital cost Rs.2.33 Crore and Rs. 23.00 Lakhs As recurring cost under EMP.
- (ii) Under CER, PP has a proposed Rs. 50.00 lakhs with following activities with budget in the given below table :

S.NO.	MAJOR ACTIVITY HEADS	YEAR OF IMPLEMENTATION			TOTAL EXPENDITURE (Rs. in Lakhs)
		1 <sup>st</sup> Year (Rs. in Lakhs)	2 <sup>nd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	3 <sup>rd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	
<b>A). Based on SIA Study</b>					

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

1	<b>Education</b>					
	i) Provide furniture, computer facility Library facility in school	Physical Nos. & village	In Gaderiya(v)	In Kanai (V)	In Phulwari(V)	4.5
		Budget Rs. in Lakhs	1.5	1.5	1.5	
					<b>Sub Total</b>	<b>4.5</b>
2	<b>Community &amp; Infrastructure Development Programmes</b>					
	i) Support to skill development /school children /Aganwadi	Physical Nos. & village	15 nos. in Gaderiya(v)	15 nos. in Kanai(V)	15 nos. in Phulwari(V)	9
		Budget Rs. in Lakhs	3	3	3	
					<b>Sub Total</b>	<b>9</b>
3	<b>Health &amp; hygiene</b>					
	i) Sanitation facility in existing schools	Physical Nos. & village	In Gaderiya (v)	In Kanai (v)	In Phulwari (v)	3
		Budget in Lakhs	1	1	1	
					<b>Sub Total</b>	<b>3</b>
					<b>TOTAL (A)</b>	<b>16.5</b>

S.NO.	MAJOR ACTIVITY HEADS	1 <sup>st</sup> Year (Rs. in Lakhs)	2 <sup>nd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	3 <sup>rd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	TOTAL EXPENDITURE (Rs. in Lakhs)	
<b>B). Based on Public Consultation/Hearing</b>						
1	Primary medical assistance /camp facility through PHC Near by 05 k.m. redious villeges	Physical Nos. & village	Company will provide every 3 month health check-up for all labours and will organise half yearly Medical camp for nearby locals(i.e. Gaderiya(V), Kanai(V), Phulwari (V)	--	--	5
		Budget in Lakhs	5	---	---	
2	<b>Community &amp;</b>					

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

<b>Infrastructure Development Programmes</b>						
	Contribution for PM Awas Yojna for construction	Within 2 km radius from our plant	In Gaderia (V) to Phulwari (V)	--	--	<b>10</b>
		Budget in Lakhs	10	--	--	
3	Contribution for Development of Aaganwadies and Tribble Hostel	Nearby Area	Gaderiya (v)	Kanai (v)	Phulwari (V)	<b>7.5</b>
		Budget in Lakhs	2.5	2.5	2.5	
S.NO.	MAJOR ACTIVITY HEADS		1 <sup>st</sup> Year (Rs. in Lakhs)	2 <sup>nd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	3 <sup>rd</sup> Year (Rs. in Lakhs)	TOTAL EXPENDITURE (Rs. in Lakhs)
<b>B). Based on Public Consultation/Hearing</b>						
4	Water Conservation	Physical Nos. & village	RWH pits in 5 nos. in Gaderiya (v) and 2 nos. of ponds Desiltation with 1.5 m depth	RWH pits in 5 nos. in Kanai(v) and 1 nos. of ponds desiltation with 1.3 m depth	RWH pits in 5 nos. in Phulwari (v) and 1 no. of pond Desiltation with 1.4 m depth	5
		Budget in Lakhs	2	1	2	
5	Wild life conservation	As per requirement	Within 2 km from plant will provide to DFO, Singrauli within 03 months.			
		Budget in Lakhs	6			<b>6</b>
		<b>TOTAL</b>			<b>Total (B)</b>	<b>33.5</b>
			<b>31</b>	<b>9.0</b>	<b>10</b>	
	<b>Grand Total (A+B)</b>					<b>50.0</b>

- (ii) Fund allocation for Corporate Environment Responsibility (CER) shall be made as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September 2020 and based on commitment made during public consultation process for incorporating in EIA-EMP for deliberation of EAC

- (iii) The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- (iii) A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
- (iv) Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- (v) Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- (i) **Miscellaneous**
  - (i) The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
  - (ii) The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.



739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024

- (iii) The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- (iv) The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM10, SO2, NOx (ambient levels) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- (v) The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- (vi) The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- (vii) The project authorities shall inform to the Regional Office of the MOEFCC regarding commencement of mining operations.
- (viii) The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- (ix) The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- (x) No change in coal beneficiation process and scope of work shall be made without obtaining prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) with such conditions mentioned therein. No change in the maximum quantum of raw material feed per annum against the approved washery capacity shall be made.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- (xi) Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- (xii) The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- (xiii) The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- (xiv) The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data/ information/monitoring reports.
- (xv) The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**2. Case No 10722/2023 Shri Narendra Roopchand Kandhari, Partner, M/s Sahil Infra, 108, Capt. C S Naidu Arcade, 10/2, Old Palasia, District-Indore (MP)- 452001, Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building “SAHIL ELEGANT” in an area of 0.5399 ha. (Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects.**

This is case of Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building “SAHIL ELEGANT” in an area of 0.5399 ha. (Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a)Building Construction Projects.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

PP Submitted following the details about the Projects:-

SN	Information Required	Details
1.	<b>Project Name</b>	Shri Narendra Roopchand Kandhari, Partner, M/s Sahil Infra, 108, Capt. C S Naidu Arcade, 10/2, Old Palasia, District-Indore (MP)- 452001, Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building "SAHIL ELEGANT" in an area of 0.5399 ha. (23339.93 sq.m.) (Khasra No. RC-04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [449330] <b>Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93 Sq.m.</b> <b><u>Cat. 8(a)Building Construction Projects.</u></b>
2.	<b>Description of Project</b>	Proposed Project for Residential cum Commercial Building.
3.	<b>Project Proposal</b>	New.
4.	<b>Declaration</b>	PP Submit affidavit No construction start at site dated 25/10/2023.
5.	<b>Land Area</b>	0.5399 ha.
6.	<b>Project Cost</b>	6074 Lakh.
7.	<b>Building Permission letter</b>	Letter No. 3935 dated 06/06/2023.
8.	<b>NBWL Application Status</b>	WL/MP/INFRA/450010/2023. Proposed Land distance - 5 km away from Ralamandal wild life Sanctuary.
9.	<b>T&amp;CP Permission</b>	Letter No. 6992 dated 27/08/2016.
10.	<b>Lat./Log. As per Form -1</b>	As per parivesh Portal uploaded information.
11.	<b>Parking Area.</b>	-
12.	<b>Water NOC</b>	Letter No. 8481 dated 06/10/2023.
13.	<b>MSW NOC</b>	-
14.	<b>Extra treated Sewage NOC</b>	Letter No. 3067 dated 11/10/2023.
15.	<b>Fire NOC</b>	Letter No. 600 dated 05/10/2023.
16.	<b>Water Requirement</b>	
17.	<b>Solid Waste Generation</b>	63 TPA.
18.	<b>E-Waste Genaration</b>	0.37 TPA.
19.	<b>DG set details</b>	1 x 250 KVA.
20.	<b>Registry Copy</b>	Dated 30/06/2023.
21.	<b>Env. Consultant</b>	M/s Rian Enviro Private Limited Repl Patna, Bihar. Valid up to 09/11/2024.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

During presentation PP submitted that proposed project is in 05 parts and T&CPO approval has been obtained for the same. Shed like structure is observed in the premises, PP submitted that this is their site office.

**ADS- बैठक में प्रस्तुतीकरण के पश्चात परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:-**

1. अद्यतन भूमि विकास नियम के अनुसार ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत प्रावधानित क्षेत्र का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जावे।
2. जो ऑफिस/कर्मशियल क्षेत्र में फ्लोटिंग पॉपुलेशन की संख्या को बताया है व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती अतः स्पष्ट जानकारी ईआई रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
3. पार्किंग स्थान में वाहन की संख्या की वास्तविक गणना व तदानुसार पार्किंग विवरण यथानुसार दर्शायी जाये।
4. प्रोजेक्ट एरिया के अंदर स्थित पेड़ों की स्थिति एवं यदि काटा जाना प्रस्तावित है तो उसका विवरण।
5. एकेडियेटेड एक्सपर्ट संस्थान द्वारा ग्राउन्ड वाटर रिचार्जिंग व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करें।
- 6- All NOCs (Water/MSW/Fire/G.W. use, etc.) to be submitted.
- 7- PP's commitment that the BOD level shall be maintained upto 3.0 mg/l in the proposed STP.
- 8- Looking to the use of e-vehicles appropriate battery charging points per towers shall be provided.
- 9- Proposed contribution of solar light shall be 30 % of total power consumption.
- 10- Provision of Roof top greening, roof top solar panel and electric charging points.
- 11- For indoor air quality the ventilation provisions shall be made in few rooms as per National Building Code of India.
- 12- Provision of Public Facilities (Toilets for men & women separately) in appropriate numbers to the house hold workerts and visitors.
- 13- Revised plantation scheme as suggested by committee

Ealier this case was scheduled in the 702<sup>nd</sup> SEAC meeting dated 16.12.2023 wherein above querries was asked from PP.

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal on dated 01.03.2024, which was asked by the SEAC in the 702<sup>nd</sup> meeting held on 16.12.2023.

Wherein PP submitted that:

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- As per the updated land development rules, the total plot area of Scheme no. 134 of the Indore Development Authority (IDA) is 39.404 Hect. and 10% of the plot area i.e. 3.94 hect. is provided for green belt development .
- As per “Rule no. 67, Part-5, General Building Requirements of the Bhumi Vikas Niyam 2012, Housing & Environment Department, Govt. of MP” i.e. “In all new layouts having plot area 100 square Meters or more be planted trees after the completion of construction of building. The number of trees to be planted shall be worked out at one free for every 100 square meters of individual plot. The occupancy certificate for the building will be issued only when the authority is satisfied that the provisions of this rule have been complied with. Every effort shall be made to protect the existing trees on the plot.”, the project proponent has made a provision for plantation of 68 nos. trees against the total plot area of 5399.74 sq.m. Additionally, roof-top landscaping scheme is also proposed in the Amenities Area provided in the building.
- Details of Plantation/Landscape Scheme ia as given below:

Total Plot Area	5399.74 Sqm.
Landscape area provided	450 Sqm.
Total No. of Trees required @ 1 tree per 100 Sq.m. of the Plot Area (as per Bhumi Vikas Rule 2012).	54 Nos
Total No. of Trees proposed	68 Nos

- In order to achieve the BOD< 3 mg/L MBR technology will be installed at the site.
- Submitted revised plantation scheme as suggested by committee.
- Submitted NOCs for Water Supply, Waste Water, Solid Waste Disposal, Approval of Residential /Commercial Plot, Fire Plan Approval Certificate, Nagar Nigam Approval for Building Construction,
- Provision I for E-vehicles battery charging points.

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया एवं पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया की—

- गूगल इमेंज में Top soil से मृदा उत्खनन के संबंध में बताया की स्थल की Top soil का उपयोग प्रस्तावित वृक्षारोपण करने में किया जायेगा उनके द्वारा किसी प्रकार का अन्य उत्खनन नहीं किया गया है।
- गूगल की पुरानी इमेजरी में जाने में जो वृक्ष परिलक्षित हो रहे है, वे वृक्ष IDA भूमि पंजीयन की दिनांक 30/06/2023 के समय नहीं लगे हुये थे, वर्तमान में भूमि एक पेड़ परिलक्षित हो रहा है, उसे काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- PP submitted following Estimate Budgetary Cost of Rs. 1,90,04,108.00 for Fire Fighting Works are as given below:-

Budgetary Cost Estimate for Fire Fighting Works			
Sr. No.	Description	Equipment Amount In Rs.	Civil Amount In Rs.
A	UNDER GROUND & OVER HEAD WATER TANKS FIRE FIGHTING WORKS FOR		
1	OH Water Storage Tank (Fire water tank 25 KL)		6,00,000.00
2	UG Water Storage Tank (Fire Water Tank 200 KLD+PUMP ROOM 55 SQM )		30,76,500.00
	TOTAL FOR FIRE FIGHTING WORKS OF U.G & O.H WATER TANKS		36,76,500.00
B	FIRE FIGHTING WORKS		
1	Electrical Pumps, Equipments, Pipes, Valves And Accessories (Diesel Engine Driven Standby pump - 01 No, Hydrant Main Pump-01 No, Sprinkler Main Pump-1 No, & Jockey Pump -02 No)	34,71,000.00	
2	Fire Hydrant & Sprinkler System Piping, Valves And Accessories	1,06,51,650.00	
3	Fire NOC Approval	3,00,000.00	
	Total of Fire Fighting System (D)	1,44,22,650.00	-
	Add contingency @ 5%	7,21,133.00	1,83,825.00
C.	GRAND TOTAL of Fire Fighting System (A+B)	1,51,43,783.00	38,60,325.00
	GRAND TOTAL of Fire Fighting System		1,90,04,108.00
	<b>NOTE</b>		
1	The above estimate is purely tentative, based on preliminary drawings and can vary after the finalization of drawings & scheme.		
2	Cost of Pumps can vary as per the brands/makes final selection.		
3	Above cost are Exclusive of taxes and shall be paid extra as applicable.		

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि कलेक्टर, इन्दौर से बोरिंग की अनुमति प्राप्त करेंगे साथ ही बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाये

नगर निगम द्वारा सुझाये गये सभी उपकरणों को पूरी व्यवस्था के साथ स्थापित की जावेगी एवं फायर प्लान के साथ अग्नि शमन की व्यवस्था के पश्चात् ही इन भवनों का आवंटन किया जावेगा तथा इसकी प्रति रेरा, नगर निगम आफिस एवं सिया को प्रस्तुत करें।

After presentation and submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of **Prior Environment Clearance for Residential Cum Commercial Building “SAHIL ELEGANT” in an area of 0.5399 ha. (Total Plot Area – 5399.74 sqm., Total Built up Area - 23339.93) (Khasra No. RC- 04), Village-INDORE CITY, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) Cat. 8(a) Building Construction Projects.** Subject to the following special conditions:

### **Statutory Compliance**

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance/permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of building due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc. as per National Building code including protection measures from lightening etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish & Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board within 15 days after issue of EC.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water/surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- vii. The provisions for the Solid waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power Strictly.
- ix. The project area shall be secure through boundary wall and excavated top soil shall not be used in filling of low lying areas. The top soil shall be used for greenery development.
- x. समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि कलेक्टर, इन्दौर से बोरिंग की अनुमति प्राप्त करेंगे साथ ही बिल्डिंग का फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाये
- xi. नगर निगम द्वारा सुझाये गये सभी उपकरणों को पूरी व्यवस्था के साथ स्थापित की जावेगी एवं फायर प्लान के साथ अग्नि शमन की व्यवस्था के पश्चात् ही इन भवनों का आवंटन किया जावेगा तथा इसकी प्रति रेरा, नगर निगम आफिस एवं सिया को प्रस्तुत करें।

## **II. Air Quality Monitoring and preservation**

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF&CC regarding mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition activities for project require Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. Diesel power generating set 2 X 250 KVA proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of proposed DG set. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- iv. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- v. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vi. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.



- vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition waste rules, 2016.
- ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- x. The gaseous emission from DG sets PM10 shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### **III. Water quality monitoring and preservation**

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase is 104 KLD out of which 77 KLD is fresh water requirement and 24 KLD will be the total recycled water generated, out of which 27 KLD recycled water will be used for flushing and 3 KLD water will be used for DG set cooling and horticulture.
- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF&CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately

for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc. and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc.) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system to be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 3 no recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The total recharge capacity of these pits about 46.98 m<sup>3</sup>/hr .Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. The RWH will be initially done only from the roof top. Runoff from green and other open areas will be done only after permission from CGWB.
- xv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xvi. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvii. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.

- xviii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF&CC along with six monthly Monitoring report.
- xix. Sewage shall be treated in the MBR based STP (Capacity –105 KLD). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing and gardening. As proposed, no treated water shall be disposed in to municipal drain.
- xx. The waste water generated from the project shall be treated in STP of 105 KLD capacity (based on MBR based technology) and then reused for various purposes. No water body or drainage channels are getting affected in the study area because of this project.
- xxi. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- xxii. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxiii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

#### **IV. Noise monitoring and prevention**

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitoring during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

#### **V. Energy Conservation measures.**

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy Conservation measures like installation of CFLs/LED's for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other renewable energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level /local building bye-laws requirement, which is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

## VI. Waste Management

- i. Total waste 173 Kg/day, this consist all types of wastes (as Organic waste 104 Kg/day and non- organic waste 69 Kg/day), these all type of waste shall be treated/ disposed off as per provision made in the MSW Rules, 2016.
- ii. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the MSW generated from project shall be obtained.
- iii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iv. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over the authorized recyclers for which a written lie up must be done with the authorized recyclers.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction materials quantity. These include fly ash brick, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum block, compressed earth blocks and other environmental friendly materials.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016 Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used CFLs and TFLs should be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

**VII. Green Cover**

- i. Total 68 trees shall be planted in the area of 450 m<sup>2</sup> (8.3 % of total plot area) which shall be developed as greenbelt development. The total plot area of Scheme no. 134 of the Indore Development Authority (IDA) is 39.404 Hect. and 10% of the plot area i.e. 3.94 hect. is provided for green belt development as per the Approved Plan of the IDA

S. No.	Binomial Name	Common Name	Nos.
1.	Saracaasoca (Roxb.) Willd	Ashoka tree	20
2.	Alstoniascholaris (L.) R.Br.	Devil's tree	5
3.	Verniciafordii (Hemsl.) Airy Shaw	Chinese wood-oil-tree	10
4.	Citrus aurantium L.	Bitter orange	5
5.	Lagerstroemia speciosa (Linn)	Queen crape Myrte	5
6.	Azadirachta indica A.Juss	Indian Lilac	5

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

<b>S. No.</b>	<b>Binomial Name</b>	<b>Common Name</b>	<b>Nos.</b>
7.	Peltophorumpterocarpum (DC.) K.Heyne	Yellow-flamboyant	5
8.	Melaleucacitrina (Curtis) Dum.Cours.	Bottle brush	8
9.	Ficuselastica Roxb.exHornem	Indian Rubber Tree	5
<b>Total No. of Trees</b>		<b>68 trees</b>	

- ii. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolute necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (Planted).
- iii. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should included plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iv. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, Compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- v. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

### **VIII Transport**

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.

- a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points
  - d. Parking norms as per local regulation
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
  - iii. Total proposed Parking's arrangement for 176 ECS (in which 73 ECS for Parking in floor 01, 73ECS Parking in floor 02 and 30 ECS in open are parking).
  - iv. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

#### **IX. Human health issues**

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

**X. EMPCorporation Environment Responsibility**

- i. PP submitted following Estimate Budgetary Cost of Rs. 1,90,04,108.00 for Fire Fighting Works .
- ii. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 142.0 Lakhs as capital and Rs.31.0 Lakhs as recurring cost for this project (Both as Constructional Phase and Operational Phase).
- iii. For this project PP has proposed Rs 121.48 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component.

<b>CER BUDGET</b>		
<b>Sl. No</b>	<b>CER Activities</b>	<b>Cost (In Lakhs)</b>
1.	Health camp including eye check up camps and subsequent distribution of spectacles and medical assistance yearly till 5 years (6 lakhs each year) with coordination of District Collector, Indore.	30
2.	Construction repair and maintenance of public building/utilities like Community Hall, Drainagesystem, Panchayat building, Renovation of hospital of near by gram panchayat with the help of local administration with coordination of District Collector, Indore.	21.48
3	Arrangement of Solar Street Lights in green belt urban area of with coordination of District Collector, Indore.	25
4	Distribution of Ambulance in nearby govt. hospital (3 Nos.) with coordination of District Collector, Indore.	45
<b>Total</b>		<b>121.48</b>

- iv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- v. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The company shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- vi. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.

**XI. Miscellaneous**

- i. बिल्डिंग बन जाने के पश्चात् Fire inspection का सर्टिफिकेश सिया को प्रस्तुत किया जावे।
  - ii. प्रस्तावित प्रोजेक्ट में से जो भी टॉप स्वाईल उपलब्ध हो उसका उपयोग प्लान्टेशन के कार्यों में किया जावेगा।
  - iii. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
  - iv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC)
  - v. No further expansion or modification in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
  - vi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
  - vii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- 3. Case No 9474/2022 M/s Prakashdeep Minerals partner Shri Jairaj Singh R/o LIG-3/27/306, Nehru Nagar, District Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.820 ha. (31946 Cum per annum) (Khasra No. 6/1, 13/1), Village - Harrai Gujran, Tehsil - Mauganj, Dist. Rewa (MP)**

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

प्रकरण समिति की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री लीलाधर वर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजराज) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 07/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। खदान से वन क्षेत्र की दूरी 22.41 मीटर दूरी पर है। इस संदर्भ आयुक्त रीवा संभाग रीवा की अध्यक्षता में वन समिति के समक्ष प्रकरण निराकरण हेतु प्रेषित किया गया। प्रकरण में बैठक दिनांक 05/08/22 को समिति द्वारा वन सीमा से 50 मीटर दूरी छोड़कर उपलब्ध क्षेत्र में स्वीकृत अनुमति प्रदान की गई है।

सिया के पत्र क्रमांक 2384 दिनांक 20/12/22 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें यह उल्लेखित है कि इस प्रकरण की ग्रामसभा की अनुमति नहीं है तथा सीईओ जनपद से जाँच कराने पर उनके द्वारा शिकायत को सही पाया गया, अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में प्राप्त शिकायत पर सीईओ जनपद पंचायत से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रकरण को समिति की 639वीं बैठक दिनांक 25/04/23 में डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया था। तदुपरांत सिया की 795वीं बैठक दिनांक 17/07/23 को रिलिस्ट कर प्रकरण समिति को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया।

प्रकरण समिति की 670वीं बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परीक्षण में पाया गया कि प्रकरण में समिति की पूर्व की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 अनुसार सीईओ जनपद पंचायत से प्रतिवेदन अप्राप्त है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नवीन सरपंच द्वारा कार्यालय ग्राम पंचायत हररहा पत्र क्रमांक 02 दिनांक 28/04/2023 जिसमें लेख किया गया है कि नदी, नाला व शासकीय भवन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्खनन कार्य किया जावेगा, ऐसा नहीं करने पर स्वीकृत पट्टा निरस्त कर सकती है। अतः ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव (दिनांक 27/04/2023 28/04/2023) के अनुसार ग्राम पंचायत को आपत्ति नहीं है। प्रकरण के परीक्षण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान निजी भूमि में स्थित है। खदान के बीच में परियोजना प्रस्तावक का मकान है खदान के बगल में भी संबंधित भूस्वामी का मकान है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये।

समिति ने परीक्षण उपरांत पाया कि परियोजना प्रस्तावक नये सरपंच का प्रमाण पत्र लेकर आये है। परन्तु सीईओ जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव सीईओ जनपद पंचायत का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रकरण डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत न करने के कारण समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 में प्रकरण को डिलिस्ट किया गया। सिया की 819 बैठक दिनांक 06/12/23 द्वारा सेक को परीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 670वीं बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री लीलाधर वर्मा (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री शिशुपाल वर्मा, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए।

**PP submitted that We have now obtained the report from Janpad CEO vide letter no. 127/Jan.Pan/2023 Mauganj dtd 01-03-2024 with non-objection certificate from Gram panchayat Harraha dtd 28-04-2023 & Gram Sabha Tehraav Prastaav dtd 27-04-2023 for our project Harrai Gujran stone Quarry at village Harrai Gujran Tehsil Mauganj & District Rewa.**

समिति ने परीक्षण उपरान्त पाया कि कार्यालय सीईओ जनपद पंचायत, मऊगंज, जिला-मऊगंज (म.प्र.) के पत्र में उल्लेख है कि उक्त प्रकरण में शिकायत दिनांक 22/12/2022 तक ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न नहीं पाया गया था। जिस कारण से दिनांक 13/01/2023 को प्रस्तुतीकरण में ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हो सका था। अतः उक्त प्रकरण के संबंध में ग्राम सभा का अनुमोदन एवं प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यालय ग्राम पंचायत हर्रहा, मऊगंज के प्रस्ताव दिनांक 28/04/2023 में कि प्रकाशदीप मिनरल्स जयराज सिंह (पार्टनर) के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र दिया गया है जिसमें लेख किया गया है कि नदी, नाला व शासकीय भवन से लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्खनन कार्य किया जावेगा। ऐसा नहीं करने पर स्वीकृति पट्टा ग्राम पंचायत निरस्त कर सकती है। शपथ पत्र के अनुसार उल्लंघन करने पर ग्राम पंचायत पट्टा निरस्त की कार्यवाही कर देगी जिसके जवाबदारी फर्म की होगी। अतः ग्रामसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार ग्राम पंचायत को आपत्ति नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराई गई कि पूर्व दिशा में 30 मी. की दूरी पर नाला स्थित होने के कारण 20 मी. का सेटबैक प्रस्तावित किया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता ..... घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.65 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.71 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ हरई गुजरान के शासकीय विद्यालय विकास हेतु अधोसंरचना केंद्र में उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के तीन माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी ।</li> </ul>	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2230 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	<p>स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैस:-शासकीय भूमि के बैरियर जोन में:- बांस (खदान क्षेत्र में दक्षिणी दिशा में वन सीमा की ओर), काला सिरिस, सफेदसिरिस, खमेर, नीम, पीपल, सिस्सू, जंगल जलेबी, करंज, सीताफल, चिरोल आदि ।</p> <p>निजी भूमि के बैरियर जोन में:-आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मूंगा एवं अन्य फलदार पौधे एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।</p>	700पौधे
2	परिवहन मार्ग में	नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	320 पौधे
	निकटतम ग्राम में स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र	पुत्रंजीवा, कचनार, आवला, नीम, कदम्ब, बरगद, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	50 पौधे

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	में		
	ग्राम हरई गुजरन के बाल शिक्षा केंद्र परिसर में	कचनार, चिरोल, नीम, कदम्ब, बरगद, पुत्रंजीवा, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
	ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:-आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल, मूंगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1110 पौधे
		कुल वृक्षारोपण	2230 पौधे
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**4. Case No 9945/2023 M/s. Govind Coal Private Limited, Director, Shri Mukesh Khurana, R/o 217/1, Dubey Colony, Rafi Ahmad Kidwai Ward 15, Tehsil & District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Gubradhari Dolomite Mine in an area of 4.84 ha. (49995 Tonne per annum) (Khasra No. 521), Village-Gubradhari, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)**

प्रकरण समिति की पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित किया गया था।

सिया ने पत्र क्रमांक 832 दिनांक 10/07/23 के द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 4.90 हे. की मार्बल की खदान भी स्वीकृत / संचालित है, जिसे नॉन होमोजिनियस मानते हुए सेक द्वारा प्रकरण में बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित की गई है। डोलोमाइट एवं मार्बल की रसायनिक संरचना जो लगभग एक ही होती है तथा उत्खनित खनिज के अधिकांश का उपयोग भी

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

एक ही प्रकार का है, कटनी जिले की वाल पुट्टी इकाईयों का कच्चा माल है । प्रकरण को नॉन होमोजिनियम की बी-2 श्रेणी में रखने का समिति का क्या आधार है, स्पष्ट मत हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

प्रकरण को समिति की 665वीं बैठक दिनांक 03/08/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना के पर्यावरण सलाहकार स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके है। संगमरमर विकास और संरक्षण नियम, 2002 की धारा 3(ज) के बिन्दु में संगमरमर की परिभाषा दी गई है, जिसमें डोलोमाइट शैल का भी उल्लेख किया गया है जिससे यह होमोजिनियस प्रकृति के है परन्तु परियोजना प्रस्तावक का कहना है, कि ये नॉन होमोजिनियस प्रकृति के है। अतः खदान में मार्बल एवं डोलोमाइट के होमोजिनियस संबंध में तथ्य चाहे गये है, अतः इस संबंध में कार्यालय, संचालनालय (DGM), भौमिकी एवं खनिकर्म, भोपाल से होमोजिनियस/ नॉन होमोजिनियस प्रकृति के संबंध में अभिमत प्राप्त किया जाना उचित होगा।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 670वीं बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश खुराना ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरण सलाहकार द्वारा संचालक (प्रशासन एवं खनिकर्म ) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल का प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 4028 दिनांक 03/04/2024 द्वारा प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि मार्बल एवं डोलोमाइट नॉन-होमोजिनियस प्रकृति के है, क्योंकि इनकी रासायनिक संरचना समान नहीं है, मार्बल ( $\text{CaCO}_3$ ) कायांतरित शैल है जबकि डोलोमाइट  $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$  अवसादी शैल है तथा भौतिक गुणों एवं उपयोग में भिन्न होते है।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

5. **Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)**

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

This is case of Flagstone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) 1.975 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण 646वीं बैठक दिनांक 16/05/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण परीक्षण हेतु दिनांक 13/07/2023 को सूचीबद्ध किया गया।

परियोजना प्रस्तावक श्री शिशुपाल सिंह यादव ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा आज दिनांक 13/07/23 को उपस्थित हुए।

प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 317 दिनांक 14/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर दिनांक 31/07/23 को अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/08/23 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, माईनिंग प्लान के अनुसार खदान क्षेत्र में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है। प्रश्नाधीन आवंटित खदान के मध्य में कुछ मकान/सरचनाएँ दिख रही हैं एवं पूर्व की ओर अल्प भाग खुदा हुआ दिखाई दे रहा है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति डिया से जारी हुई थी एवं खनन का कार्य पूर्व में हुआ है डिया की ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग, वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. संबंधी शर्तों का पालन होना चाहिए था। अतएव समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि ई.सी. शर्तों के अनुसार फेंसिंग के जिओटेग फोटोग्राफ्स, वृक्षारोपण एवं स्थायी प्रकृति का समाजिक कार्य की प्रमाणिक जानकारी के साथ अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन एवं दस्तावेज, व्यय, फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत करें उसके पश्चात् ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

Earlier this case was scheduled in the 670<sup>nd</sup> SEAC meeting dated 23.08.2023 wherein above queries were asked from PP. PP absent in the SEAC 695<sup>nd</sup> & 701<sup>st</sup> meeting.

The project proponent submitted clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in the 702<sup>nd</sup> meeting held on 16.12.2023.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 670<sup>nd</sup> SEAC meeting dated 23.08.2023 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक की ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 60 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 200 पेड़ लगाये गये एवं 300 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान के बाजू में साईट आफिस एवं लीवर के शॅल्टर हैं एवं कोई भी पेड़ काटा जाना प्रस्तावित नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फ्लेगस्टोन 2640 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 10.48 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.17 लाख प्रति वर्ष।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

5. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैंक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहाँ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन की दिशा में समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
आंगनवाड़ी में पुताई एवं मरम्मत का कार्य कराया जाएगा।	90,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता , निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1300
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर )	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

योग	2400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।	

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

**6. Case No 10128/2023 Shri Bhagwan Singh, Lessee, R/o Makan No. 39, Ward No. 3, Main Road, Rajpoot Mohalla, Kanja, District-Shajapur (MP)-465001, Prior Environment Clearance for Kanja Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10180 cum per year) (Khasra No. 1405, 1410), Village-Kanja, Tehsil-Shajapur, District-Shajapur (MP).**

प्रस्तावित खदान का समिति की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुतीरण हुआ था। प्रकरण का परीक्षण :-

1. खदान की पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित हुई है। अतः खदान आवंटन से लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी क्रोनोलोजी/पूर्व में प्रदाय की गई पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन।
2. खदान क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा पवन चक्की-114 मी. में एवं दक्षिण दिशा- पवन चक्की-328 मी. पर दो पवन चक्की स्थित है। अतः जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, जिला-शाजापुर, दूरी संबंध में उपरोक्त परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से विचार कर अपनी अनुशंसा से समिति को अवगत कराये ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक से प्राप्त न होने के कारण समिति की 695वीं बैठक दिनांक 21/11/23 को प्रकरण डिलिस्ट कर सिया को प्रेषित किया गया ।

प्रकरण आज दिनांक 23/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में खदान आवंटन से लेकर वर्तमान स्थिति की जानकारी क्रोनोलोजी/पूर्व में प्रदाय की गई

- पत्र क्रमांक/61/खनिज/2021 शाजापुर, दिनांक 18/01/2021 से उक्त उत्खनिपट्टा भगवान सिंह पिता श्री भंवर सिंह के पक्ष में अंतरण किया गया।
- खदान अंतरण के पश्चात मेरे द्वारा उक्त खदान की पर्यावरण अनुमति हस्तांतरण ना होने के कारण आज दिनांक तक कोई खनन कार्य नहीं किया गया है।
- उक्त खदान के पूर्व पट्टेदार के नाम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन मेरे द्वारा जमा किया गया है एवं नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात छःमाही पालन प्रतिवेदन समय पर मेरे द्वारा जमा किये जायेंगे।
- खदान क्षेत्र के आस-पास स्थित पवन ऊर्जा टर्बाईन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक (मेसर्स अयनोक्स बिंड इन्फ्रा स्ट्रक्चर सर्विसेस लिमि) द्वारा दिनांक 13/01/2024 को जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., शाजापुर प्रेषित पत्र के संबंध में, जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., उज्जैन का पत्र क्रमांक 112 दिनांक 26/02/2024 प्रस्तुत किया। पत्र में उल्लेख है कि उपरोक्त खनिज स्थल से पवन ऊर्जा टर्बाईन- 079 की दूरी लगभग 300 मीटर एवं 071 की दूरी 600 मीटर है। पवन ऊर्जा टर्बाईन के संचालन/रख रखाव हेतु पहुँच मार्ग योग्य है। उपरोक्त खनिज स्थल में केशर मशीन तक पहुँचने का मार्ग उपरोक्त मार्ग से अलग है। आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ब्लास्टिंग नहीं करने की शर्त का पालन करेंगे। मेसर्स अयनोक्स बिंड इन्फ्रा स्ट्रक्चर सर्विसेस लिमि. द्वारा आवेदन को दिनांक 30/01/2024 को पत्र के माध्यम से अनापत्ति प्रदान की गई है। उपरोक्त बिन्दु के आधार पर आवेदक को अनापत्ति प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 10180 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय माध्यमिक स्कूल, कांजा में फर्निचर (10 नग बेंच व डेस्क) एवं शौचालय का निर्माण	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2,400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1200
2	नॉन माइनिंग जोन	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, चिरोल, खमेर, कटंग बॉस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	600
	परिवहन मार्ग (वृक्षारोपण में पौधों की ऊँचाई 1.5 मी.)	कदम्ब, कचनार, आवंला, नीम, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री गार्ड के साथ	100
	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500
Total			2,400

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

- अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. **Case No 10733/2023 Shri Manglesh Jaiswal, Lessee, R/o Tilak Chowk Paratwara, Tehsil-Achalpur, District-Amravati (MH)-444805, Prior Environment Clearance for Thapoda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10830 cum per year) (Khasra No. 75), Village-Thapora, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA]**

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:-

1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करे ।
2. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक के निर्माण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करे ।
3. स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये पुनरक्षित सरफेस मेप ।
4. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करे ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Manglesh Jaiswal, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 668वीं बैठक दिनांक 09/08/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण उपस्थित हुए ।

PP submitted that we acknowledge the importance of addressing concerns related to sensitive features within a 500-meter radius of the mine lease area. To address this issue and we would like to clarify that we have proposed the setback from nalla upto 50m in NW side, setback from the cascade in NW side upto 200m and the remaining sensitivities are at sufficient distance also addressed in the revised surface map & the Google satellite image attached.

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुन मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा

पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग पूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	खुदा हुआ पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 70 पेड़ लगाये गये एवं 190 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान की पश्चिम दिशा में एक कच्चा रोड लगा हुआ है 50 मी. का सेटबेक छोड़ा है। पश्चिम दिशा—आबादी 263 मी. पश्चिम दिशा—नाला 41 मी. 09 मी. का सेटबेक छोड़ा है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 10,830 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.72 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
7. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से MMR Rules अनुसार कार्य किया जावे।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बैरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
9. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
10. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
11. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा।
12. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।
13. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
14. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
15. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
16. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रु. में
ग्रामथपोड़ा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर एवं 1 कम्प्यूटर-टेबलप्रदानकियेजावेंगे।	60,000/-

17. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियांजैस:-आंवला, सीताफल, गुआवा, आमकटहलहाइब्रिडमुनगा,महुआ,संतराअचारआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	590पौधे
2	परिवहनमार्गमें	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज,पाकर, पीपलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री-गार्ड के साथ	100 पौधे
3	ग्रामजामान्या के ग्राम	पुत्रंजीवामोलश्रीसिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम,	50 पौधे

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	पंचायत में	चिरोलआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	
4	ग्राम एवंसमीपस्थितग्राम के ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1660पौधे
योग			2400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये खनन अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति/कृषक का नाम, मोबाईल नम्बर, खसरा नम्बर एवं प्रजाति का विवरण तथा कितने पौधे वितरित किये गये की संख्या देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

**8. Case No 10977/2023 Shri HARSH GARG, Lessee, R/o-Mahaveer Colony Sendhwa, Tehsil- Sendhwa, District- Barwani, M.P, 451666, Prior Environment Clearance for Jamneya Stone Quarry in an area of 1.212 ha. (8730 cum per year) (Khasra No. 37/1/1/8/1, 37/1/1/5), Village-Jamanya, Tehsil-Niwali, District-Barwani (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

<b>परियोजना विवरण</b>	<b>परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज</b>
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri HARSH GARG, Lessee, R/o-Mahaveer Colony Sendhwa, Tehsil-Sendhwa, District- Barwani (M.P.)



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	37/1/1/8/1 & 37/1/1/5 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड, परियोजना को भू-स्वामी की सहमति प्राप्त)	1.212 hectare.
स्थल	Village Jamneya, Tehsil Niwali, District Barwani (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 203 दिनांक 04/03/17 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बड़वानी के पत्र क्रमांक 36 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-8730 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम पत्थर-8,730 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-8,730 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.426 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 20/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2425 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जामन्या ए.बी. जिला बड़वानी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 13 दिनांक 14/04/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -	

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 15 मी. पर स्थित है, 35 मी. का सेटबेक प्रस्तावित किया है।
	पश्चिम दिशा— स्टाप डेम लगभग 20 मी. एवं आबादी लगभग 330 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-33 के सरल क्रमांक-41 पर दर्ज है।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष गर्ग, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण (35%) पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 70 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा के खदान के समीप स्थित चेक डेम के बारे में अवगत कराया गया कि समीप स्थित चेक डेम वर्ष 1994 में बनाया गया था जो अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने संबंधित जल संसाधन विभाग का पत्र क्रमांक 173 दिनांक 19/04/2023 संलग्न किया गया है व ग्राम पंचायत का पत्र भी संलग्न किया गया है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 8730 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.71 लाख प्रति वर्ष ।
3. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
4. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (में .रु)
ग्राम जामन्या के तालब अथवा जल संरक्षण संरचना की सफाई एवं डीपनींग पंचायत के माध्यम से करवाई जावेगी।	40,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1460 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोन में	आंवला, सीताफल, गुआवा, आमएकटहल मुनगा हाइब्रिड महुआ अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	500 पौधे
2	परिवहनमार्ग में	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ट्री-गार्ड के साथ	150 पौधे

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

3	ग्राम जामान्या के ग्राम पंचायत में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50 पौधे
4	ग्राम एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	760 पौधे
योग			1460
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंद पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF & CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

**9. Case No 10463/2023 Smt. Sanjulata Jain, Lessee, R/o 574, Dhekaha Ward No. 3, Panjhreh Bazar, District-Singrauli (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Jhingurda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (18,169 cum per year) (Khasra No. 33/1, 34/1), Village-Waidhan, Tehsil-Singrauli, District-Singrauli (MP).**

प्रकरण आज सेक की 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

**10. Case No 10698/2023 Shri Sajid Khan, Proprietor, M/s Flex Minerals, 117, Prashant Nagar, Katol Road, District-Nagpur (MH)-440013, Prior Environment Clearance for Bhivdoni Quartz & Quartzite Mine in an area of 90.06 ha. (20000 TPA) (Khasra No. 239), Village-Bhivadoni, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP) (EIA)**

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान का समिति की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण के परीक्षण उपरांत परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई:—

1. संबंधित खसरा क्रमांक 1582 वन क्षेत्र सीमा से 250 मी. से कम की दूरी पर है, अतः इसके लिये संभागीय स्तर की समिति से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
2. खदान क्षेत्र के संबंध में ग्रामसभा/ग्रामपंचायत की अनापत्ति प्रस्तुत करें।
3. खदान क्षेत्र के अंदर 1233 वृक्ष हैं जिनमें से लगभग 350 वृक्ष काटे जाना प्रस्तावित है। अतः स्पष्ट करें कि किस-किस प्रजाती के कितने वृक्ष कटेगें एवं काटे गये पेड़ों के परिप्रेक्ष्य में 10 गुना वृक्षों का वृक्षारोपण का प्रस्ताव दें।
4. वृक्षों के काटने से पर्यावरण पर पडने वाले विपरित प्रभाव का आंकलन एवं इसके निष्प्रभावीकरण हेतु क्या-क्या उपाय किये जायेंगे।
5. खनन प्रक्रियाओं से होने वाले अन्य पर्यावरणीय क्षतियों हेतु Ecological Damage Assessment Report एवं Damage Control Plan प्रस्तुत करें।
6. जन सुनवाई के दौरान उठाये गये बिन्दुओं जैसे चारागाह का विकास, स्कूल की छत की मरम्मत, टायलेट, खेतों में पानी आता है, धूल की समस्या, पानी की व्यवस्था, रोजगार, कौशल विकास, रोड की मरम्मत, नाले का संरक्षण, तालाब के जीर्णोधार आदि बिन्दुओं हेतु किये जाने वाले कार्यों के लिये समयबद्ध कार्य योजना मय वित्तीय प्रावधानों के सीईआर/ईएमपी में शामिल कर प्रस्तुत की जावें।
7. खसरा न. 239 कुल लीज क्षेत्र 90.06 हे. में से प्रथम 05 वर्ष की प्रस्तुत की गई माइनिंग स्कीम के अनुसार जिस क्षेत्र में माइनिंग प्रस्तावित है उसमें कितने स्थित वृक्षों की संख्या, प्रजाती, गोलाई एवं खनन हेतु काटे जाने वाले वृक्षों की जानकारी प्रस्तुत करें।
8. कार्बन फुट प्रिंट की जानकारी प्रस्तुत करें।
9. कुल लीज क्षेत्र 90.06 हे. का है, अतः खदान क्षेत्र का वर्षवार प्रोडक्शन प्लान बैंच सहित एवं खदान का कान्सेप्टुवल प्लान प्रस्तुत करें।
10. 02 नाले उत्तर पूर्व दिशा की ओर स्थित है। अतः इनकी संरक्षण हेतु सरफेस रन ऑफ प्लान प्रस्तुत किया जावें। नालों के कैचमेन्ट एरिया क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जावें एवं यह क्षेत्र प्रस्तावित पौधा रोपण हेतु संरक्षित कर विस्तृत वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
11. वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत— खनन क्षेत्र के अनुरूप पौधों की संख्या का आंकलन किया जाये अतः विस्तृत निम्नानुसार वृक्षारोपण योजना क्षेत्र की स्वाइल प्रोफाईल एवं (सतत् सिंचाई, 2 से 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ, वितरण किन गांवों में करेगें) के साथ निम्न तालिका में प्रस्तुत की जावें।

क्र.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा	रोपण वर्ष
1.	बैरियर जोन एवं			
2.	नॉन माइनिंग जोन एवं माइनिंग जोन के अंतर्गत			

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

3.	ग्राम सीमा मे स्थित ग्राम वासियों को वितरण हेतु फलदार पौधों का वितरण			
4.	शासकीय विद्यालय या ग्रामपंचायत के परिसर लगने वाले पौधों का विवरण			
5.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मी. (कुल लंबाई मे)			
योग				

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की आज बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण में रखा गया, प्रकरण समिति की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री साजिद खान ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री पराग, मेसर्स Srushti Seva Private Limited, Nagpur (Maharashtra) ऑनलाईन उपस्थित हुए

PP submitted that –

- NOC from Divisional Commissioner Jabalpur dated 17.01.2024 has been received and Letter from Forest department, South Chhindawara to Conservator of Forest, Chhindwara dated 07.01.2024 is also submitted .
- संबंधित वन कक्ष क्रमांक 1582 आवेदित क्षेत्र की उत्तरी सीमा से लगे होने के कारण कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग के दिनांक 17/01/2024 के कार्यवाही विवरण में खदान के संबंध में उल्लेख किया गया है कि आवेदित क्षेत्र से उत्तरी सीमा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1582 से 50 मी. की दूरी छोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने तथा खदान स्वीकृति के समय वन, राजस्व एवं खनिज विभाग के दल द्वारा संयुक्त सीमांकन कर स्थायी सीमा पिलर एवं तार जाली से चैनलिंग फैनसिंग करने की शर्त पर सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- NOC with Gramsabha Tharav from Grampanchayat Sarvani, Tahsil Sausar, Dist Chiindwara is produced vide dated 25.01.2024.
- Details of trees envisaged to cutting during first 5 years of mining are presented in the table wherein it is mentioned that total 350 trees are proposed fro cutting.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- 11580 trees will be planted during first five years. A budget of Rs. 6.00 Lakh has been proposed for implementation of the green belt development. Green belt development plan is enclosed .
- As per public hearing point a provision of Rs 17.70 lakhs for these activities has been made which is proposed to be completed in phases over a period of two years.

समिति द्वारा परीक्षण के दौरान पाया कि –

- Carbon sequestration calculation not verified from satandard & site specific.
- Eco-system calculation not based on authentic site- specific.

अतः प्रस्तुतीकरण पश्चात् निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- 1- लीज क्षेत्र के अंदर स्थित खदान क्षेत्र/ निजी भूमि/ चारागाह भूमि भू-स्वामियों के नाम के साथ एवं यदि उनमें से कोई आदिवासी भूमि धारक हो तो दर्शाते हुये संशोधित सरफेस मेप भी प्रस्तुत करें।
- 2- एकोलॉजिकल डेमेज असेसमेंट को मात्रात्मक रूप से दर्शाते हुये नक्शे में भी दर्शायें।
- 3- कार्बन फुटप्रिंट (above of the ground & below the ground) गणना में शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।
- 4- खदान क्षेत्र के समीप स्थित नाले में कितना पानी आने की संभावना है उसके अनुरूप जल संरचनायें प्रस्तावित की जावे एवं होने वाले व्यय को ईएमपी में शामिल करें।
- 5- स्वाईल प्रोफाईल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
- 6- सागौन वृक्ष (राष्ट्रीयकृत वनोपज) काटने की स्वीकृति/ विक्रय की अनुमति विधि अनुरूप ली जावेगी इसका वचन पत्र प्रस्तुत करें।

**11. Case No 11067/2023 Shri Dharmendra Solanki, Lessee, R/o 09, Khandwa Road, Near Balaji Auto Parts, Sanawad, Tehsil-Barwaha, District-Khandwa (MP)-451111. Prior Environment Clearance for Harvanspura Stone Quarry in an area of 1.10 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 41/1), Village-Harbanspura, Tehsil-Punasa, District-Khandwa (MP) [438977] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dharmendra Solanki, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DHARMENDRA SOLANKI, Lessee, R/o- 09, Khandwa Road Near Balaji Auto Parts Sanawad, Tehsil- Barwaha, District- Khandwa, (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	41/1(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक भू-स्वामी की सहमति प्राप्त है)   1.1 hectare.
स्थल	Village Harvanspura, Tehsil Punasa, District Khandwa (M.P.).
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 18235-36 दिनांक 03/10/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । (In Form 2 blasting proposed to be asked )
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया खण्डवा के पत्र क्रमांक 113 दिनांक 07/04/18 के द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 11/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 11/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है और आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 850/4/राजस्व/2017 इंदौर दिनांक 10/11/17 के अनुसार संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त की गई है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 904 दिनांक 11/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की	ग्राम पंचायत हरवंशपुरा जिला खण्डवा के प्रस्ताव क्रमांक-9 (अक्टूबर, 17) अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

अनापत्ति	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा— नाला लगभग 60 मी. एवं दक्षिण दिशा— आबादी लगभग 352 मी.
	पूर्व दिशा— नाला लगभग 344 मी.
	पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग 197 मी. एवं कुछ बिरले मकान लगभग 214 मी.
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-33 पर दर्ज है ।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई एवं बेरियर जोन खुदा हुआ पाया गया।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग . 50 पेड़ लगाये गये एवं 100 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्यो हेतु जो साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं वह संतोषजनक हैं ।

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि उत्तर दिशा में अवैध उत्खनन दिख रहा है । अतः माइनिंग विभाग को कार्यवाही हेतु सिया स्तर पर कार्यवाही हेतु लिखा जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.86 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.54 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
5. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर.में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंडल हरवंशपुरा में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	50,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1320 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन के अंतर्गत एवं गैर खनन क्षेत्र में	आवलाँ, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि	1000

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

		एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 250 मी. तक)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि। <b>Tree guard-</b>	150
3	ग्राम हरवंशपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में व	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	वृक्षारोपण— 50 नग
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	120 पौधों
<b>योग</b>			<b>1320</b>
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

**12. Case No 9113/2022 Shri Praveen Chandrapatel, Owner, Bastar Road Dhamtari District Dhamtari State Chattisgarh. Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 3.14 ha. (38000 Tonne per annum) (Khasra No. 30, 32, 33, 34, 35 and 36), Village - Bhanwartal, Tehsil - Bicchiya, Dist. Mandla (MP) (EIA)**

प्रस्तावित Dolomite खदान समिति की 708वीं बैठक दिनांक 03/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

1. पी-2 फार्म अपलोड नहीं है, अतः परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के साथ प्रस्तुत करे ।
2. खदान क्षेत्र में वह क्षेत्र जो पेड से अच्छादित है उसे गैर खनन क्षेत्र (जो पेड नहीं काटें जाने है) इस संबंध में पुर्नरक्षित सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन मेप प्रस्तुत करें।
3. गैर खनन क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
4. खदान क्षेत्र में कुछ पेड लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेडो की इन्वेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्तुत करे ।
5. खदान क्षेत्र की ड्रोन व्हिडियो ग्राफी प्रस्तुत करे ।
6. पुर्नरक्षित वृक्षारोपण योजना।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसे समिति की 729वीं बैठक दिनांक 06/03/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार उपस्थित नहीं हुए ।

प्रकरण पुनः समिति की आज दिनांक 23/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनोद कुमार यादव, अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री विजय कुमार मिश्रा, कार्डिनेटर, मेसर्स Geogreen Enviro house Pvt. Ltd, U.P. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि पश्चिम दिशा में स्थित पेडों से आच्छादित क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र ( लगभग 0.80 हे.) छोड़ने पर उपलब्ध क्षेत्र से आवेदित मात्रा के लिये उपयुक्त है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया कि खदान क्षेत्र में वह क्षेत्र जिसमें लगभग 100 पेड लगे हुये हैं उनमें से 10 पेड काटे जाने प्रस्तावित है जिसके एवज में 100 पेड अतिरिक्त गैर खनन क्षेत्र में लगाये जावेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 38000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 7.77 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षेत्र के चारो तरफ गेमप्रूफ फेंसिंग लगाई जावेगी।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
Village – Bhanwartal सड़क निर्माण एवं पेयजल की व्यवस्था, मेडिकल चेकअप आदि	1.0 लाख

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2240 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेंर , चिरोज, करंज , सीताफल , इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	20
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कला सिरस, नीम , शीशम ;सिस्सूद्ध, एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	1540
3	खदान के नॉन-माईनिंग जोन में	नीम, खमेंर, चिरोल, करंज, सीताफल इत्यादि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	जामुन, मुनगा, सीताफल , कटहल नीबू, अमरूद एवं अन्य फलदार पौधे की प्रजातियाँ ।	580
योग			2240
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**13.Case No 11065/2023 Shri Avinash Vaish, Owner, R/o 1196, Vijay Nagar, District-Jabalpur (MP)-482001. Prior Environment Clearance for GhutnaMurrum Quarry in an area of 2.45 ha. (10800 cum per year) (Khasra No. 181/1), Village-Ghutna, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP) [440676] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 23.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Avinash Vaish, online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Avinash Singh Vaish, Owner, R/O -1196, Vijay Nagar, Dist- Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	181/1 (सरकारी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.450 hectare.
स्थल	Village Ghutna, Tehsil -Sihora, District- Jabalpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 105 दिनांक 15/01/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	मुरम खनिज होने के कारण लागू नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मुरम-10,800 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मुरम-10,800 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 844 दिनांक 14/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 844 दिनांक 14/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 844 दिनांक 14/09/23 अनुसार 200 मीटर की दूरी पर आबादी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत घुटना जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-3 दिनांक 02/10/19 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में 10 पेड़ लगे हुये हैं। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पेड़ काटे जाना प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा- पक्का रोड लगभग 181 एवं 215 मी.	
	दक्षिण पूर्व दिशा- तालाब लगभग 340 मी.	
	पश्चिम दिशा- नहर लगभग 36 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 64 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है ।	
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-129 के सरल क्रमांक-118	

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

में स्थिति	पर दर्ज है ।
------------	--------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता मुश्किल 10,800 घन/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.57 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
3. लीज क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
4. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए है, अतः वहाँ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन की दिशा में समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
5. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
6. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
7. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
8. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
9. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशि पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम घुटना के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में कराया जाएगा।	10,000/-

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
-----	----------------------------	---------------------	--------

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	स्थान		(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, पुतराजिवा, कारंज, जंगल जलेबी, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1800
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
<b>योग</b>			<b>3000</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**14. Case No 9188/2022 M/s J.P. Mines and Minerals, Partner, Shri Pawan Kumar Singhal, 704, Satyam Tower, City Center, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.390 ha. (75852 Cum per annum) (Khasra No. 1, 4, 7, 52), Village - Bilara, Tehsil - Tansen, Dist. Gwalior (MP) EIA Consultant: Cognizance Research India (P) Ltd., Noida (U.P.). (EIA).**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for EIA appraisal. The proposed site (Khasra No. 1, 4, 7, 52), Village - Bilara, Tehsil - Gwalior, Dist. Gwalior (MP) 3.390 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी. एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा)



## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक क्यू-3 दिनांक 30/03/22 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है ।

उक्त प्रकरण को समिति की 576वीं बैठक दिनांक 30/05/2022 को टॉर अनुशंसित किया गया था ।

आज दिनांक समिति की 717वीं बैठक दिनांक 24/01/2024 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि प्रश्नाधीन खदान के पश्चिम दिशा में 90 मीटर पर नहर है अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि नहर के संदर्भ में संरक्षण योजना एवं निर्धारित सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन में प्रस्तुत किया जावे। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 23/04/24 रखा गया, पर्यावरण सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहर के संदर्भ में संरक्षण योजना एवं निर्धारित सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप एवं प्रोडक्शन में प्रस्तुत किया गया। सरफेस मेप में बताया गया है कि लगभग 1.28 हे. गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा गया है एवं लगभग 1.75 हे. क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 75,852 घन/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 05.93 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 07.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप/संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
9. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
10. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नोटिस बोर्ड लगाकर सूचना लिखी जावेगी कि लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है।
12. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 1,30,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम बिलारा के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,30,000/-

13. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	850
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, ग्राफिटिंग मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2350
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर )	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	900
<b>योग</b>			<b>4,100</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**15. Case No 10650/2023 Shri Malkhan Singh, Owner, Kashipur, Majara, Post-Narhela, District-Morena (MP)-476221, Prior Environment Clearance for Kashipur Stone Quarry in an area of 1.81 ha. (16800 cum per year) (Khasra No. 522), Village-Kashipur, Tehsil-Joura, District-Morena (MP)**

प्रस्तावित खदान का सेक की 694वीं बैठक दिनांक 31/10/2023 में परियोजना प्रस्तावक Shri Sabapathy Arumugam, Authorized Person एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Malkhan Singh, Owner, Kashipur, Majara, Post-Narhela, District-Morena (MP)-476221, Prior Environment Clearance for Kashipur Stone Quarry in an area of 1.81 ha. (16,800 cum per year) (Khasra No. - 522), Village-Kashipur, Tehsil-Joura, District-Morena (MP) [444700].
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.-522, एरिया- 1.81 ha., शासकीय भूमि
परियोजना स्थल	ग्राम- काशीपुर, तहसील- जावरा, जिला- मुरैना, (म.प्र.).
सैधातिक सहमति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना पत्र क्र0. 14 ए दिनांक 06/01/2021.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
खनन कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting will be done by licensed contractor. The lessee has been obtain necessary permissions from DGMS before blasting & inform DM and DGM.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।
उत्पादन क्षमता	स्टोन - 16,800 घन मी/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 10/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 खदानें स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 04.81 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 10/01/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 28 दिनांक 10/01/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनुमति	ग्राम पंचायत- मजरा जिला - मुरैना का ठहराव प्रस्ताव क्र0. 04 दिनांक 23/11/2020 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	दक्षिण दिशा- पक्की रोड लगभग 132 मी.,
	पूर्व दिशा- आबादी 408 मी.
	पश्चिम दिशा- पक्की रोड लगभग 23 मी.,
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-28 के सरल क्रमांक - 77 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु कहा गया:-

1. गूगल इमेज से अवलोकित होता है, कि लीज क्षेत्र के पश्चिम दिशा में पक्की रोड लगभग 23 मी, दक्षिण दिशा में एक पक्की रोड लगभग 132 मी. एवं पूर्व दिशा में आबादी 408 मी. इन संवेदनशील फीचर्स के दृष्टिगत रखते हुये स्थानवार मापदण्ड के अनुसार सेट बेक छोड़ते हुये पुनरिक्षित सर्वेस मेप प्रस्तुत करे।
2. जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग नही की जायेगी। अतः माइनिंग प्लान में उपरोक्त संशोधन उपरांत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पश्चात् समिति के समक्ष प्रस्तुत करे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 23/04/2024 रखा गया, जिसमें पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi the Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को बताया गया कि खनन कार्य में ब्लास्टिंग नही की जायेगी। अतः उनके द्वारा **क्षेत्रीय प्रमुख, डीजीएम कार्यालय** द्वारा दिनांक 22/02/2024 को सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित संशोधन माइनिंग प्लान प्रस्तुत कर दिया गया है।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर 16,800 घन/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.18 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

4.

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सी.ई.आर मद से 80,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम काशीपुर के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी ।	80,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां 115 मी.	600
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1300
3	परिवहन मार्ग (वृक्षारोपण में पौधों की ऊँचाई 1.5 मी.)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी, अमलताश, गुलमोहर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां <b>Tree Gaurd</b>	300
<b>योग</b>			<b>2200</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**16.Case No 10836/2023 Shri Durghat Mishra, Owner, R/o Village-Sagra, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Pahadiya Stone Quarry in an area of 1.457 ha. (5039 cum per year) (Khasra No. 1667, 1668, 1678), Village-Pahariya, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa (MP) [DEIAA]**

प्रस्तावित पत्थर खदान का समिति की 711वीं बैठक दिनांक 09/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण उपरांत समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :

- खनन योजना खदान की अल्टीमेट डेप्थ 20 मीटर प्रस्तावित है, अतः क्षेत्र के भू-जल स्तर की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Durghat Mishra, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामप्रसाद, ऑनलाईन M/s Forest Environment and Climate Change Management Consultancy(FECCM) Pvt Ltd., Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उपरोक्त संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र का म.प्र. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकीय का नक्शा प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि क्षेत्र के भू-जल स्तर 46 मी. दर्शाया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 5039 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.70 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सीमद से प्रस्तावित गतिविधि .आर.इ.	राशि (में .रु)
ग्राम पहाड़िया की आगंवाड़ी के बाउंडरी का निर्माण एवं मेंटिनेंस	80000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m X 400m)	करंज, काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, एवं शीशम (सिस्सू)	400
2	परिवहन मार्ग में वृक्षारोपण 01 पौधों की न्यूनतम ऊंचाई) (मीटर	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ट्रीगार्ड के - साथ	350
3	ग्राम पहाड़िया स्कूल, पंचायत एवं आगनवाड़ी के प्रांगण में	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	50
4	ग्राम पहाड़िया, तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	800
योग			1600

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

**17. Case No 10817/2023 Shri Durghat Mishra, Owner, R/o Village-Sagra, Tehsil-Huzur, District-Rewa (MP)-486001, Prior Environment Clearance for Pahadiya Stone Crusher Quarry in an area of 0.809 ha. (1112 cum per year) (Khasra No. 1254/4, 1255/5), Village-Pahariya, Tehsil-Raipur-Karchuliyan, District-Rewa (MP) [DEIAA]**

प्रकरण समिति की 710वीं बैठक दिनांक 05/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

परियोजना प्रस्ताव से प्राप्त अनुरोध के आधार पर प्रकरण आज दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामप्रसाद, ऑनलाईन मेसर्स, Forest Environment and Climate Change Management Consultancy(FECCM) Pvt Ltd., Bhopal (M.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri DURGHAT MISHRA, Owner, Village-Sagra, Tehsil-Huzur, District-Rewa (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1254/4, 1255/5 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक स्वयं की) 0.809 hectare.
स्थल	ग्राम PAHARIYA तसहील Raipur - Karchuliyan जिला Rewa (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.) के पत्र क्रमांक 1127 दिनांक 14/05/2020 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	माईन प्लान के अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रीवा के पत्र क्रमांक 40 दिनांक 14/02/2017 के द्वारा पत्थर-1125 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा बोल्टर गिट्टी-1,112 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-1,114 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

में अन्य खदानें	क्रमांक 3037 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 04.266 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3037 दिनांक 15/09/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा (म.प्र.) के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3037 दिनांक 15/09/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पहाडिया जिला रीवा (म.प्र.) के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/09 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— कुछ कच्चे घर लगभग 84 मी. की दूरी पर हैं एवं पश्चिम दिशा— स्कूल बिल्डिंग लीज क्षेत्र से लगी हुई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 100 मी. के सेटबैक छोड़ा गया है।।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-45 के सरल क्रमांक-145 पर दर्ज है।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुन मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि 70 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर—1,114 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में क्वीटल राशि रु. 06.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
5. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन कार्य किया जावेगा ।
6. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन कार्य हुआ है ।
7. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
8. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
9. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।
10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
-------------------------------------	----------------

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

ग्राम पहाड़िया की आगंवाड़ी के बाउंडरी का निर्माण एवं मेंटिनेंस	80000
--	-------

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m X 400m)	काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, करंज एवं शीशम (सिस्सू),	300
2	परिवहन मार्ग एवं ग्राम पहाड़िया के स्कूल, पंचायत एवं आगनवाड़ी के प्रांगण में वृक्षारोपण पौधों की ) (मीटर 01 न्यूनतम ऊंचाई	काला सिरस, नीम, कदम, पीपल, शीशम (सिस्सू), अशोक करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ-	200
3	ग्राम पहाड़िया, तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	500
<b>योग</b>			<b>1000</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**18. Case No 9670/2023 Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [415733] EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Subhash Chand Bansal, Online एवं उनके

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Subhash Chand Bansa, partner, M/s UNIVERSAL RESOURCES, MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District Katni (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	640,639,649 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड एवं भू-स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है) 1.777 hectare.
स्थल	Village- Bhadawar, Tehsil- Badwara, District- Katni (M.P.)
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 2832 दिनांक 17/06/2022 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कटनी के पत्र क्रमांक 235 दिनांक 01/10/18 के द्वारा डोलोमाइट-19,000 टीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-50,704 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-50,704 टीपीए है।
टॉर	सेक की 643वीं बैठक दिनांक 05/05/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 543 दिनांक 25/05/23 के द्वारा डोलोमाइट-50,704 टीपीए के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 94 दिनांक 23/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 18.757 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 94 दिनांक 23/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 94 दिनांक 23/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भादावार जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुरानी खदान है जिसमें 4 से 5 मीटर के गड्ढे हैं एवं खदान में 14 पेड़ लगे दिख रहे हैं एवं इनमें से 02 पेड़ काटे जाने हैं जिसके एवज में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में 20 पौधे लगा दिये गये हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्तर पूर्व दिशा में आबादी 152 मी. पर है एवं पूर्व दिशा – आबादी 256 मी. तथा कच्ची सड़क – 50 मी. पर अतः आबादी के संबंध में स्थानवार मापदण्ड अनुसार 48 मी. का सेटबैक छोड़ा गया है । अतः खनन हेतु 1.477 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है जो कि प्रस्तावित उत्पादन क्षमता के लिये उपयुक्त है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-84 के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति को अवगत कराया कि यह खदान वर्ष 2022 नवीन परियोजना प्रस्तावक को हस्तान्तरित हुई है तथा लीज हस्तान्तरण के उपरान्त कोई उत्खनन कार्य नहीं हुआ है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के क्रमांक 918/khanij/2023, कटनी दिनांक 04.05.2023 अनुसार kml (based on DGPS coordinates) प्रस्तुत किया गया तथा उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बेरियर जोन खुदा हुआ है जिसका अतिक्रमण लीज के पास की खदान वालों के द्वारा किया गया है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि पुरानी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन 06 माह के अन्दर करवायेंगे।

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित मार्किंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 20 पेड़ लगाये गये एवं 540 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 50,704 T/Year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.18 लाख प्रति वर्ष।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।
4. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

5. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है । यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे ।
6. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा ।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है ।
8. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे ।
9. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत में खेलकूद मैदान बनवाने के लिये आर्थिक राशि की सहायता प्रदान की जाएगी ।	50,000 / -
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत में परिवहन मार्ग की मरम्मत के लिये आर्थिक राशि <b>ग्राम सभा को जमा की जावेगी ।</b>	30,000 / -
प्रथम वर्ष में पुराने हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	20000 / -

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में प्रथम वर्ष में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीताफल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	40

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

3	भदावर तथा आस-पास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	1400
4	प्राइमरी स्कूल भदावर में पूर्व सूरक्षा सहित	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

12. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 06.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 01.30 लाख प्रति वर्ष।
13. संशोधित सरफेस मेप का समावेश खनन् योजना में भू-प्रवेश के पूर्व कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
14. संशोधित सरफेस मेप जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि इससे उत्पादन में परिवर्तन होता है, उसको भी संशोधित माईन प्लान में समावेश किया जावे।
15. जिला खनिज अधिकारी मौके पर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप के अनुरूप खनन् कार्य किया जावेगा।
16. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संशोधित सरफेस मेप / संशोधित माईन प्लान के अनुरूप खनन् कार्य हुआ है।
17. यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिला कलेक्टर के संज्ञान में लायेंगे तथा म.प्र. गौण खनिज नियम के अनुरूप वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा सिया को अवगत करायेंगे।
18. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 03 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
19. अन्य शर्तों का पालन प्रतिवेदन नियमानुसार प्रत्येक 06 माह में खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
20. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

सी.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम पहाड़िया की आगंवाड़ी के बाउंडरी का निर्माण एवं मेंटिनेंस	80000

21. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	खदान के बैरियर जोन में 7.5)m X 400m)	काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, करंज एवं शीशम (सिस्सू),	300
2	परिवहन मार्ग एवं ग्राम पहाड़िया के स्कूल, पंचायत एवं आगनवाड़ी के प्रांगण में वृक्षारोपण पौधों की ) (मीटर 01 न्यूनतम ऊंचाई	काला सिरस, नीम, कदम, पीपल, शीशम (सिस्सू), अशोक करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री गार्ड के साथ-	200
3	ग्राम पहाड़िया, तमरी एवं बेलहा के ग्राम वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	500
		<b>योग</b>	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**19. Case No 10862/2023 Shri Rahul Patel, Lessee, R/o Jay Prakash Ward, Betulganj, District-Betul (MP)-460001 Prior Environment Clearance for Bothiya Brahmanwada Stone Quarry in an area of 0.75 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 144/1), Village-Bothiyadhana, Tehsil-Amla, District-Betul (MP).**

प्रकरण सेक की 713वीं बैठक दिनांक 11/01/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक/उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रकरण पुनः समिति की 728वीं बैठक दिनांक 05/03/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri RAHUL PATEL, Lessee, Jay Prakash Ward Betul Ganj Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	5700(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	0.750 hectare.
स्थल	Village Bothiya Brahamanwada , tehsil: Amla & Distt: Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल लीज अनुबंध दिनांक 27/08/2018	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	खनन् कार्य में ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जावेग, रॉक ब्रेकर के माध्यम से उत्खनन् किया जावेगा ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 31/05/16 के द्वारा पत्थर-5700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-5700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर-5700 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1353 दिनांक 08/08/23 अनुसार 115 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 320 मीटर की दूरी पर तालाब स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ब्राम्हणवाड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक -6 दिनांक 26/01/18 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— तालाब लगभग 320 मी.
	दक्षिण पूर्व दिशा— पक्का रोड(हाईवे -47) लगभग 120 मी.
	पूर्व दिशा— रोड लगभग 60 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हालेज रोड है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-20 के सरल क्रमांक-27 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा नॉन ब्लास्टिंग का माईनिंग प्लान प्रस्तावित किया है अतः संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जावेगा। समिति ने विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एडीएस जारी किया जावे।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 23/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक **Shri Rahul Patel, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री खुशबू गुप्ता, FAE मेसर्स ए.एस.जी. इवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

PP has informed during erlier meeting they mentioned that mining will be done by blasting, where as as per Approved Mining Scheme, mining is already proposed by Rock Breaker as per the NGT Norms (Chapter 5, Mining, Page No. 21 of AMS & Chapter 6 Page No. 29).

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया –

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	50 पौधे लगाये

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 250 पेड़ लगाये गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	साक्ष्य प्रस्तुत किये।

**परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-50,704 टीपीए
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.14 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.18 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.0 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत में खेलकूद मैदान बनवाने के लिये आर्थिक राशि की सहायता प्रदान की जाएगी।	50,000 /-
परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूप्रवेश के तीन महीने के अंदर ग्राम पंचायत में परिवहन मार्ग की मरम्मत के लिये आर्थिक राशि सहायता प्रदान की जाएगी।	30,000 /-
पुराने हैंडपंप के चारो तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना करवा दिया जाएगा	20000 /-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2,160 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
-----	----------------------------	---------------------	--------

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	स्थान		(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीताफल अशोक मुनगा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ,	40
3	भदावर तथा आस-पास के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद, सीता अशोक मुनगा इत्यादि।	1400
4	प्राइमरी स्कूल भदावर में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, पुतरंजीवा, मोलश्री, गुलमोहर इत्यादि।	20
<b>Total</b>			<b>2160</b>
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविक्त व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

उक्त प्रकरण की समीक्षा की गई तकनीकी दृष्टिकोण से अनुशंसा किये जाने योग्य है, परन्तु उल्लेखनीय है कि डिया प्रकरणों के रिअप्राईजल के संबंध में MOEF &CC के OM दिनांक 15/01/2024 के माध्यम से SOP जारी किया गया है। इस प्रकरण हेतु आवेदन 15 जनवरी के पूर्व का है, अतः प्रकरण की समीक्षा एवं अनुशंसा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की गई है। अतः MOEF&CC के OM दिनांक 15/01/2024 के परिपालन में निर्णय एवं अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

**20.Case No 9683/2023 Shri Sanjay Patwala, Partner, M/s Kamdhenu Stone and Sand, R/o 24, Teacher Colony, Ratlam (MP)-452012, Prior Environment Clearance for Bibdod Stone Quarry in an area of 3.750 ha. (Expansion from 42,000 to 90000 Cum per annum) (Khasra No. 126 Part), Village- Bibdod, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) (EIA)**

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

प्रस्तावित खदान का समिति 712वीं बैठक दिनांक 10/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- परियोजना प्रस्तावक ईआईए के साथ नॉन ब्लास्टिंग का अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत करें।
- खदान की नदी से दूरी 105 मी. की है, अतः नदी के साथ अन्य संवदनशील बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सेटबैक देते हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 23/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाला, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अजय मोहन, मेसर्स इन सिटू इंवयारो केयर, भोपाल उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है, उनके द्वारा सक्षम अधिकारी से संशोधित माईनिंग प्लान से दिनांक 28/02/2024 को अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 90000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 08.96 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 02.49 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम बिबड़ौद स्कूल के विकास हेतु पालक शिक्षक संघ में 3 माह के अंदर सहायता राशि प्रदान करना।	1,50,000.00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,500 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

1	बैरिअर ज़ोन में वृक्षारोपण	करंज , चिरोल, जंगल जलेबी ,पीपल, व स्थानीय प्रजाति आदि । पौधों के बीच में एक सीताफल पौधे का 4 रोपण किया जाएगा ।	1125
2	आवागमन सड़क पर वृक्षारोपण	नीम , खमार, बबूल, जंगल जलेबी, करंज चिरोल, व कस्तर आदि ।	1125
3	बिबड़ौद स्कूल एवं ग्राम पंचायत बिबड़ौद के पास तथा ग्राम से पहुंच मार्ग तक वृक्षारोपण	खमार, कदम्ब, सिस्सू, पीपल, करंज एवं स्थानीय प्रजातियां ।	1125
4	बिबड़ौद ग्रामवासियों को पौधों का वितरण	आम, ईमली, बेल, आवला, सीताफल, मुनगा, नींबू व स्थानीय प्रजाति आदि।	1125
Total			4500
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**21. Case No 11068/2023 Shri Rahul Patwala, Lessee, R/o 72, Sukh Niwas, Rau Rangwasa, District-Indore (MP)-453331. Prior Environment Clearance for Bedavanya Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (52250 cum per year) (Khasra No. 261/1), Village-Berawanya, Tehsil-Khancharod, District-Ujjain (MP) [449142] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rahul Patwala** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक	Shri RAHUL PATWALA, Lessee, R/o- 72 Sukh Niwas Rau Rangwasa, District-

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

का नाम व पता	Indore, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	261/1 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	4.00 hectare.
स्थल	Village BERAWANYA Tehsil Khacharod District Ujjain (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 1472 दिनांक 30/09/2020 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक 2339 दिनांक 16/10/17 के द्वारा पत्थर-52,250 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-52250 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-52250 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10028 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10028 दिनांक 20/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10028 दिनांक 20/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेड़ावन्या जिला उज्जैन के दिनांक 30/10/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	प्रस्तावित खदान में दो पेड़ लगे हुये दिख रहे हैं ।	
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्की रोड लीज से लगी हुई निकल रही है तथा उत्तर पश्चिम दिशा में पक्की रोड लगभग 250 मी. एवं 325 मी. पर गौशाला है ।	



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक-34 पर दर्ज है ।
---	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा ।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा ।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

**22. Case No 11069/2023 Shri Dulle Chouhan, Lessee, R/o H. No. 210, Village-Kalukhedi, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP)-457114, Prior Environment Clearance for Kolukhedi Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9700 cum per year) (Khasra No. 244/6), Village-KoluKhedhi, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP) [450220] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Dulle Chouhan, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri DULLE CHOUHAN, Lessee, R/o- Ho. no. 210, Village-Kalukhedi, Tehsil- Tal, District- Ratlam (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	244/6 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 hectare.
स्थल	Village- Kolukhedi, Tehsil- Tal, and District- Ratlam (M.P.).	

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 702 दिनांक 09/09/16 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	माईनिंग प्लान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 677 दिनांक 06/09/16 के द्वारा पत्थर-9700 घनमीटर/वर्ष घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-9700 है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742 दिनांक 24/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742 दिनांक 24/11/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2742 दिनांक 24/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कोलूखेड़ी जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-42 दिनांक 02/10/15 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Existing- No
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा- तालाब लगभग 142 मी. एवं आबादी लगभग 342 मी. पश्चिम दिशा- आबादी लगभग 52 मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 50मी. का सेटबेक छोड़ा गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-107 पर दर्ज है ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यावहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

**23. Case No 9764/2023 Shri Aruna Sihare, Proprietor, R/o Civil Lines, Tilak Ward, District-Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Bhanwartal Dolomite Mine in an area of 6.60 ha. (70050 Ton per annum) (Khasra No. 110, 113, 114, 116, 117, 119, 121, 20/5) Village- Bhanwartal, Tehsil-Bhichhiya, District-Mandla (MP) [417013] EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Aruna Sihare, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्वाटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को प्रस्तावित खदान को टॉर अनुशंसित किया गया था, जिसे सिया के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 17/04/23 के द्वारा डोलोमाइट-70050 TPA पूर्व में के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ARUNA SIHARE, Proprietor, Civil Lines, Tilak Ward, Mandla (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल	110,113,114,116,117,119,120,121 & 20/5 6.6 hectare.

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

(सरकारी/निजी)	(सरकारी/निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड निजी भूमि के भू-स्वामी की परियोजना प्रस्तावक स्वयं)
स्थल	Village. Bhawartal Tehsil- Bichhiya District- Mandla (M.P.).
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र एफ-3-2004/12/2 दिनांक 12/04/05 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार ।
टॉर	सेक की 632वीं बैठक दिनांक 21/03/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 117 दिनांक 17/04/23 के द्वारा डोलोमाइट-70050 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट-70050 TPA एवं ओल्डर वर्डन-8162 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार डोलोमाइट-70050 TPA है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 13/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 15.29 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 13/12/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं आवेदित क्षेत्र के ख.क्र. 113, 114 की उत्तरी एवं पूर्वी भाग वन सीमा से लगी हुई है, शेष खसरा वन सीमा से 250 मीटर से अधिक दूरी पर है । कमिश्नर, जबलपुर संभाग जबलपुर की बैठक दिनांक 02.11.2022 में स्वीकृत क्षेत्र का वन विभाग की उपस्थिति में संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वन कक्ष क्रमांक 757, 755 (वन सीमा) की ओर आवेदित क्षेत्र में 6 से 10 गेज की 4" व्यास की जाली से चैनलिंग-फैंसिंग (बिना बारवेट) करने तथा वन सीमा की ओर आवेदित क्षेत्र में स्वयं के व्यय पर वृक्षारोपण करने तथा वृक्षारोपण का खदान अवधि तक संरक्षण करने की शर्त पर अनापत्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1712 दिनांक 13/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-32 दिनांक 31/01/204 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज अनुसार लीज क्षेत्र के अंदर उत्तर पूर्व से दक्षिण-पूर्व दिशा में ग्रीन बेल्ट पेड़ लगे दिख रहे हैं,
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-27 के सरल क्रमांक-4 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय कार्यों की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 24/11/2023 को जारी सर्टिफाईट कम्पलाईन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा 1880 पेड़ लगाये हैं, विवरण निम्नानुसार हैं।

<b>Details of existing plantation</b>		
<b>S. No.</b>	<b>Name of trees</b>	<b>Numbers of trees</b>
1.	Amrood	04
2.	Kathal	02
3.	Sitafal	20
4.	Shisham	40
	<b>Total</b>	<b>1833</b>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाइट-70050 TPA
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कॅपीटल राशि रु. 10.43 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 9.83 लाख प्रति वर्ष ।

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 19.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

<b>Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target</b>		
<b>SN</b>	<b>Issues</b>	<b>Cost in lakh</b>
1	Pucca bridge shall be constructed over the nalla for transportation of mineral	Rs 4.00
2	Construction and maintenance of WBM road (0.920km with the help of other mine owners	Rs 5.00
3	Fund for wild life habitat development and staff welfare Kahna Tiger Reserve Mandla (MP)	Rs 10.00
	<b>Total</b>	<b>Rs 19.00Lakh</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3750 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

<b>Proposed Plant Species for Mine Area, Transportation road and its Boundary</b>			
<b>Phase</b>	<b>Location</b>	<b>Name of Tree</b>	<b>No. of Plants</b>
1 <sup>st</sup> to 3 <sup>rd</sup> Year	In barrier zone (1896m x 7.5m= 14220sqm) (upto height of 1.5 meter)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	1700
5 <sup>th</sup> year to CP	backfilled area (0.5250ha)	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar and other local species	1050
		<b>Total</b>	<b>2750</b>
1 <sup>st</sup> year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	1000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**24.Case No 9534/2022 Shri Vidhan Sharma, 601, Byramji Town, Sadar, District-Nagpur (MH)-440013 Prior Environment Clearance for Malegaon Dolomite Mine in an area of 5.639 ha. (Expansin 2000 TPA to 1,23,667 TPA) (Khasra No. 86), Village-Malegaon, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP) (EIA Query)**

प्रस्तावित खदान समिति की 717वीं दिनांक 24/01/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में पेड़ों से अच्छादित है एवं परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि इनमें से कुछ पेड़/झाड़ियां काटे जाना प्रस्तावित है, समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिये कि विषय विशेषज्ञ TFRI अथवा Local DFO (अथवा कम से कम वन क्षेत्रपाल स्तर के अधिकारी) से से लीज में लगे पेड़ के बारे में स्पष्टीकरण कराके, पेड़ों की इन्वेन्ट्री (जिसमें झाड़ियां भी शामिल होगी) उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ प्रस्तुत करे ।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 22/04/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Vidhan Sharma, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्विंटिव इन्वायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह एक्सपान्शन का प्रकरण है (Expansin 2000 TPA to 1,23,667 TPA) तथा पूर्व में इस प्रकरण को सिया से पत्र क्रमांक 114/EPCO-SEIAA/12 dated 24.04.2012 पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

**PP submitted following points wrt to query raised by SEAC in 717th meeting dated 24.01.2024.**

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- The forest department has surveyed the lease area for tree inventorization. As per letter received from Forest department after survey, total 99 trees of satkunda exist in the lease area with shrub species of lantana.
- Further to that total 10 trees need to be cut down and against which 100 trees has already been planted. The bills and GPS tagged photographs are also enclosed as Annexure

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता डोलोमाईट— 2000 TPA to 1,23,667 TPA
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रू. 23.61लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 16.30 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 11.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 03 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

SN	Plan	Activity	Budgetary provisions (Rs in lakh)		
			1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	3 <sup>rd</sup> year
1	Infrastructure development	Neebase Infrastructure development at Aganwadi and school located at Malgaon and van gram Boriban including distribution of LED light	2.0	2.0	2.0
2	Fund for wild life habitat	Fund for wild life habitat development and staff welfare Pench Tiger Reserve Chhindwara (MP)	Rs 5.00		
	<b>Total</b>		<b>Rs. 11.00 Lakh</b>		

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

Phase	Location	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Remark
1 <sup>st</sup> to 3 <sup>rd</sup> Year	In bench area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar, Achar, Saja, Mahua, Sitafal, Kusum and other local species	1000	1 <sup>st</sup> to 3 <sup>rd</sup> Year



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

5 <sup>th</sup> year to CP	In bench area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Jangle Jalebi, White Kastar, Achar, Saja, Mahua, Sitafal , Kusumand other local species	2000	5 <sup>th</sup> year to CP
		<b>Total</b>	<b>3000</b>	
1 <sup>st</sup> year	For village distribution	Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000	1 <sup>st</sup> year

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**25. Case No 9662/2023 Shri Aditya Soliwal, Lessee, R/o Sarafa Bazar, Opposite Ganesh Temple, Tehsil-Jawad District-Neemuch (MP)-458441, Prior Environment Clearance for Suwakheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.929 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 12, 13, 14, 15, 23), Village-Suwakheda, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP) [414270] EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ई.आई.ए. का है, जिसमें आज दिनांक 23/04/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Aditya Soliwal, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिंटेक्स, उदयपुर, राजस्थान उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri ADITYA SOLIWAL, Lessee, Sarafa Bazaar Opposite Ganesh Temple, Jawad Tehsil Jawad & District Neemuch (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	12,13,14,15,23 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.929 hectare.
स्थल	Village Suwakheda, Tehsil Jawad, District Neemuch , (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 1452 दिनांक 01/10/18 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

ब्रेकर	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष है।
टॉर	सेक की 624वीं बैठक दिनांक 26/02/23 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 3221 दिनांक 24/03/23 के द्वारा पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 62 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकरण कुल रकबा 23.03 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 62 दिनांक 11/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नीमच के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 62 दिनांक 11/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत सुवाखेड़ा जिला नीमच के प्रस्ताव क्रमांक-6 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज अनुसार खदान के प्रश्नाधीन खदान पेडो से आच्छादित है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र में 55 पेड़ लगे हुये हैं जिनमें से 47 पेड़ काटे जाने प्रस्तावित है। जिसके एवज में 470 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-32 के सरल क्रमांक-2 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित जनसुनवाई के कार्यवाही विवरण, आमजन के सुझाव एवं प्राप्त आपत्तियों पर परियोजना प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आवश्यकतानुसार परियोजना में प्रस्तावित सामाजिक/पर्यावरणीय

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 23 अप्रैल 2024**

	कार्यों की समीक्षा की गई।
--	---------------------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर-20,000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 16.18 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 04.56 लाख प्रति वर्ष ।
2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
निकट ग्राम सुवाखेडा मे सडक मरम्मत मे राशि प्रदान की जायेगी ।	<b>1,50,000</b>
निकट ग्राम सुवाखेडा में आस्था केन्द्र विकास मे राशि प्रदान की जायेगी ।	<b>25,000</b>
निकट ग्राम सुवाखेडा मे स्वास्थ्य परीक्षण केम्प का आयोजन किया जायेगा ।	<b>50,000</b>
योग	<b>2,25,000</b>

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4,800 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	हरित पट्टी (1000मीटर) पर तीन लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा )	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु , शीशम , सागौन , सिरस, सीताफल , कला सिरस, बॉस, कचनार एवं गुलमोहर आदि ।	<b>800</b>
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड (1100 मीटर) के दोनो तरफ दो लाईनो में 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में ।	कला सिरस, कचनार, नीम, पीपल, करंज, एवं चिरोल, आदि ।	<b>1100</b>
3	आस पास के ग्रामीण किसानो को पौधे वितरित किये जायेंगे ग्राम सुवाखेडा ।	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	<b>2900</b>

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

योग	<b>4800</b>
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।	

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**26. Case No SIA/MP/IND2/422826/2023 M/s Oil and Natural Gas Corporation Ltd, Shrimati Barnali Das, Group General Manager, I/C HSE, CBM Asset, ONGC, HSCL Building 1<sup>st</sup> floor, Naya More, Bokaro, Jharkhand – 827001. Prior Environment Clearance for Exploratory Core hole Drilling (9Core holes) in SCBM-21, SR-ONHP (CBM)-2021/5 (Sohagpur) CBM Block, Dist – Shahdol and Umaria (Madhya Pradesh). Category-B2 .**

This is case of Prior Environment Clearance for Exploratory Core hole Drilling (09Core hole) in SCBM-21, SR-ONHP (CBM)-2021/5 (Sohagpur) CBM Block, Dist – Shahdol and Umaria (MP). The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by PP Smt. Barnali Das, Group General Manager, CBM Asset, ONGC, Bokaro wherein

**The salient features of the project are as:-**

Name of Block	SR-ONHP (CBM)-2021/5
Proposed Locations	9 Core holes in the block
Depth	Approx. 1500 m / Core holes
Cost	Approx. INR 27 Crores for 9 Core holes
Area	District Shahdol and Umaria
Coordinates of Block	Coordinates of block are given in Annexure 1
District	Shahdol and Umaria

PP submitted that the proposed site is not coming under forest land and proposed site is approximately 14 km far from Bandhavgarh Tiger Reserve, 30km from Bandhavgarh National Park and 40 km from Panpatha Wild Life Sanctuary.

### **Geological Overview of Sohagpur CBM Block:-**

- SR-ONHP (CBM)-2021/5 Block lies within Central part of Sohagpur coalfield, in the easternmost part of South Rewa basin in Shahdol district of Madhya Pradesh.
- The block lies north of the RIL CBM block SP(W)-CBM-2001/I and west of Essar Oil CBM block SP(NE)-CBM-2008/IV, to the south-east of the block lies the second CBM block of RIL, SP(E)-CBM-2001/I.
- Gondwana sediments ranging in age from Early Permian to Early Cretaceous
- The Talchir Formation forms low lying plains along the southern margin of the basin, while progressively towards north the Barakar and Supra – Barakar sediments define prominent plateau with step like scarps.
- The major part of the CBM block is covered by the exposures of Raniganj Fm. In the NW and central north part of the block rocks of Pali and Parsora Formation are exposed as the basin deepens in this part.
- The Barakar Formation thickness is around 250-300 m as per the available drilled Core hole data.
- The target seams for CBM exploration are from the Barakar Formation ranges between 297 – 1041m.

### **Project Proposal:-**

- ONGC endeavors Coal Bed Methane exploration to meet the rising energy requirements of the country
- The proposed Core hole drilling activity in the existing acreage of SR-ONHP (CBM)-2021/5 Block, South Rewa Basin is expected to establish commercial viability of Coal Bed Methane, opening a new vista of hydrocarbon exploration.
- The project shall undertake Core hole drilling of nine Core holes (depth approximately 1500m each) for establishing prospectivity of Coal Bed Methane present in the area.

### **Selection of Locations:-**

- Core hole Drilling for establishing CBM prospect is a cost intensive high risk activity.
- Generally evaluation of multiple Geological and Geophysical data sets including 2D and 3D Seismic data, Gravity Data and Magnetic data is required.
- In this block only 2D Seismic data and 8 Core hole data are available.

- Also the results of Core holes drilled in the area along with the data collected from the Core holes are evaluated for evaluation of prospective locations.
- The locations identified by such prospectivity analysis are then further reviewed and approved by the competent authority and then only the locations are taken up for Core hole Drilling.
- Availability of clearances prior to release of locations for drilling helps in reducing time delays which may prove vital considering the short period for which CBM blocks are allotted by Director General of Hydrocarbons, Government of India.
- Prior clearance will facilitate in achieving the objective of establishing CBM prospect from the Core holes and there after Test Wells is to be drilled for assessing production potential.
- On the basis of Results of test wells, development plan will be executed accordingly.

**Procedure for Temporary Land Acquisition: -**

- Location is finalized and released for Core hole drilling by the competent authority
- Exact location is staked on ground by a multi-disciplinary technical team.
- Required land is identified and consent of owners is sought for lease of land by the core hole drilling contractor.

**Water Requirement:**

- 20-25m<sup>3</sup>/day of water is required for each site per day for operational purpose, which will be supplied by the contractor through tankers. One Core hole Drilling Rig will be operational at any given time at one site.
- 05 m<sup>3</sup>/day of water is required for domestic purpose.
- Drinking water requirement is met through bottled water in 20 litre cans and supplied by the caterer.
- No waste water will be disposed out of the site premises
- Domestic waste water will be treated through bio toilet/soak pits
- Environmental Management Plan (EMP) is drawn after identifying, predicting and evaluating the significant impacts on each component of the environment with a view to maximizing the benefits from proposed project.

**The following measures will also be included in EMP:**

- During core hole drilling there will be no show of any hydrocarbon gases (CBM gases) or formation water at the surface.
- After collection of core sample from the drilled core hole, the site will be abandoned and restored.
- Required environmental variables will be monitored, to ensure compliance with the applicable environmental rules/regulations during the period of core hole drilling at a site.
- Delineate post-closure plan coexisting with natural surroundings for abandonment of wells, rig dismantling and site completion and reclamation for abandonment.
- Mitigation measures required to address environmental concerns such as water pollution, noise pollution, debris disposal will be taken care of.
- Assess infrastructures for treatment of waste water, drill cuttings, drilling waste mud, sewage, solid/hazardous waste if any.
- Drill-cuttings consist mainly of clay, shale, sand, sandstones and siltstone/silt. Drill-cuttings are non-hazardous and are kept in impervious lined waste pits after washing with water.
- After the operations are over the drill cuttings are left to dry in the waste pit through solar evaporation.
- At the time of restoration of the site, the drill cuttings material may be used for levelling the site.
- About 50-70 m<sup>3</sup> of mud is filled in the well depending upon the depth and size of the hole during core hole drilling operation.
- Approximately 100 m<sup>3</sup> of mud will be discarded into the waste pits after dilution.
- Mud consists of 90% water and the rest is mainly clay, other constituents (chemicals) are biodegradable.
- Spent / burnt Oil: Approximately 200 ltrs per month of spent oil is generated which is collected in barrels and will be disposed to authorized re-cyclers agency.
- Waste water is collected in impervious lined waste pits.
- The small amounts of water left over along with clays are left in the pits and solar evaporated.

### **Restoration of Site:**

- The drill site will be levelled without the use of concrete to ensure stability of the core hole drilling rig and its ancillary equipment during drilling activity

**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

- After the coreholedrilling is completed and the core sample is collected the core hole will be abandoned and simultaneously site will be restored. The coring rig will be dismantled and allocated for the next core hole location.
- In the site restoration activity the three cement plugs (Bottom cement plug of 100m, a 100 m plug in the middle depth and a top cement plug of 100 m) will be put in the core hole. Top 3 meters of the surface casing will be removed and the hole will be covered by top soil.
- Process of abandonment / restoration will be adopted.
- The Casing will be removed from 3 m from the ground level
- All surface structures will be dismantled and removed.
- All pits will be filled and the site will be levelled to the ground level and covered with top soil.
- Once the land is restored, the land will be returned to the land owner and no further lease rent will be payable as the lease agreement will be cancelled.
- After the completion of core hole drilling and core hole abandonment, the restoration work will take about 1 week time once the process for restoration is initiated.

**Dealing with Worst Case Scenario:**

- The Emergency Response Plan and Disaster Management Plan will be available at the site.
- To deal with such type of emergency situations we have Crisis Management Team with experts to deal with the situation at short notice to control such situation and also take necessary mitigation measures.

**Co-ordinates of Sohagpur CBM Block: SR-ONHP (CBM)-2021/5 (WGS-84)**

Point	Latitude	Longitude
1	23°34'	81°17'
2	23°34'	81°22'
3	23°33'	81°22'
4	23°33'	81°25'
5	23°31'	81°25'
6	23°31'	81°28'
7	23°30'	81°28'
8	23°30'	81°37'
9	23°28'	81°37'
10	23°28'	81°39'
11	23°29'	81°39'
12	23°29'	81°40'



**739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024**

13	23°30'	81°40'
14	23°30'	81°44'
15	23°25'	81°44'
16	23°25'	81°35'
17	23°24'	81°35'
18	23°24'	81°25'
19	23°26'	81°25'
20	23°26'	81°21'
21	23°27'	81°21'
22	23°27'	81°16'
23	23°31'	81°16'
24	23°31'	81°17'

**Financial implications per core hole including EMP: approximately Rs. 3 Cr.**

Env. Management plan will be undertaken during core hole drilling at nine core hole location. Ambient air quality, Water monitoring and Noise monitoring will be done periodically and reported in six monthly compliance report. There will be no dust generation during the core hole drilling activity. These parameters will be reported in six monthly compliance report.

**Breakup of financial implications of EMP for drilling of 9 core holes in the project**

- Total expenditure to be incurred on EMP - Rs. 3.0 Cr(Approximately)
- Recurring Expenditure - Rs. 0 Cr
- **CER:** This is a temporary exploratory campaign (i.e. the drilling activity and site restoration will be completed within two months' time frame approximately) to assess the CBM potential. CER will be taken care during the preparation and implementation of the development plan after the potential of the CBM is ascertained through the core hole drilling.

After deliberations, the EMP, presentation & other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for **Grant of Prior Environment Clearance for Exploratory Core hole Drilling (9 Core holes) in SCBM-21, SR-ONHP (CBM)-2021/5 (Sohagpur) CBM Block, Dist. – Shahdol and Umaria (Madhya Pradesh). Category-B2EC Offshore and Onshore and gas exploration, development & production Project, with following standard conditions:**

**A. Statutory compliance:**

- I. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project. (If applicable)

- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, (if applicable).
- III. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and get it approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan/Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (in case of the presence of schedule-I species in the study area) .

**A. Air quality monitoring and preservation:**

- I. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied.

**B. Water quality monitoring and preservation:**

- I. As proposed by the project proponent, Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged to any surface water body, sea and/or on land. Domestic sewage shall be disposed off through septic tank/soak pit.
- II. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the State Pollution Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- III. Total surface water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
- IV. Drill cuttings separated from drilling fluid shall be adequately washed and disposed in HDPE lined pit. No effluent/drilling mud/drill cutting shall be discharged/disposed off into nearby surface water bodies. The company shall comply with the guidelines for disposal of solid waste, drill cutting and drilling fluids for onshore drilling operation notified vide GSR.546 (E) dated 30<sup>th</sup> August, 2005.

**C. Noise monitoring and prevention:**

- I. The company shall make all arrangements for control of noise from the drilling activity. Acoustic enclosure shall be provided for the DG sets along with the adequate stack height as per CPCB guidelines.

- II. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- III. The ambient noise levels shall conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Act, 1986 Rules, 1989 viz. 75 dBA (day time) and 70 dBA (night time).

**D. Energy Conservation measures:**

- I. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based

**E. Waste management:**

- I. The recyclable waste (oily sludge) and spent oil shall be disposed off to the authorized recyclers.
- II. Spent / burnt Oil: Approximately 200 ltrs per month of spent oil is generated which is collected in barrels and will be disposed to authorized re-cyclers agency.

**F. Safety and Human health issues:**

- I. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- II. Blow-Out Preventer system shall be installed to prevent well blow outs during core hole drilling operations. BOP measures during drilling shall focus on maintaining well bore hydrostatic pressure by proper pre-well planning and drilling fluid.
- III. Company shall prepare operating manual in respect of all activities, which would cover all safety & environment related issues and measures to be taken for protection. One set of environmental manual shall be made available at the drilling site/ project site. Awareness shall be created at each level of the management. All the schedules and results of environmental monitoring shall be available at the project site office. Remote monitoring of site should be done.
- IV. On completion of core hole drilling, the company has to plug the drilled core holes safely.
- V. The company shall take measures after completion of drilling process by core hole plugging and secured enclosures, decommissioning of rig upon abandonment of the core hole and drilling site shall be restored in original condition. The Company shall take necessary measures to prevent fire hazards, containing oil spill and soil remediation as needed.
- VI. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations

for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted. The rig will be on contract, operated by contractual employees.

- VII. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained.

#### **EMP& CER**

- I. Financial implications per core hole including EMP: **Rs. 3 Cr.**
- II. Under CER - This is a temporary exploratory campaign (i.e. the drilling activity and site restoration will be completed within two months' time frame approximately) to assess the CBM potential. CER will be taken care during the preparation and implementation of the development plan after the potential of the CBM is ascertained through the core hole drilling.
- III. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders.
- IV. A separate Environmental Cell equipped with full-fledged laboratory facilities shall be set up to carry out the Environmental Management and Monitoring functions, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will report directly to the head of the organization.
- V. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority.
- VI. Since the coring activity at a particular site is for a short period approximately 2 months, self-environmental audit shall be conducted if possible.

#### **G. Miscellaneous**

- I. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- II. The project proponent shall inform Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India the date of financial closure of the project.

739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 23 अप्रैल 2024

- III. Restoration of the project site shall be carried out satisfactorily and report shall be sent to the Regional Office of MoEF&CC, Govt. of India.
- IV. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.
- V. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- VI. The MoEF&CC reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- VII. The Regional Office of the MoEF&CC, Govt. of India shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- VIII. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)  
अध्यक्ष

# 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

### **Annexure- 'B'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.



## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river.....bank" shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### **Annexure- 'C'**

#### **Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\***

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.
  - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
  37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
  38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
  39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
  40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.

## 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

### खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्लिचंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य**

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 - 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 - 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		

# 739वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2024

	तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

**नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -**

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियों आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

**नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)**

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियों, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीट
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतवदम टतममकपदह ब्दजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे